ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

मई 2018 अंक 02

विषय सूची

मई 2018
अंक–2

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01–15

- मृदा प्रदूषण का बढ़ता संकट
- लेखापरीक्षण का सामाजिक उत्तरदायित्व
- समेकित कृषि प्रणाली: किसानों की वर्तमान आवश्यकता
- ब्रेक्जिट के बाद भारत-ब्रिटेन संबंध
- क्या बदलेगी रक्षा क्षेत्र की कार्यपद्धति?
- पंचायती राज के 25 वर्ष: एक अवलोकन
- अतार्किकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 16–20

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 21–27

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28–36

सात महत्वपूर्ण तथ्य 37

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी) 38

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 39

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. मृदा प्रदूषण का बढ़ता संकट

चर्चा का कारण

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने हाल ही में कहा है कि मृदा प्रदूषण के कारण भारत, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों में कई स्थानों पर मानव (बच्चों) के लिए मां का दूध शुद्ध नहीं है। एफएओ की रोम में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि, दुनिया भर में मृदा प्रदूषण से कृषि उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य को जबरदस्त खतरा पैदा हो गया है। अभी तक इस खतरे का आकलन करने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिकीकरण, युद्ध खनन और कृषि के लिए इस्तेमाल किए गए रसायनों से दुनिया भर में मृदा प्रदूषण बढ़ा है। इसके अलावा बढ़ते शहरीकरण ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। इसमें शहरी कचरे की व्यापक भूमिका है। एफएओ की उप महानिदेशक मारिया हेलेन सेमेदो ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थ, पेयजल, वायु और पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत, यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में कुछ स्थानों पर मां का दूध भी शुद्ध नहीं है। इसमें भी प्रदूषक तत्व पाए गए है।

रिपोर्ट के अनुसार आस्ट्रेलिया में लगभग 80 हजार स्थान मृदा प्रदूषण से प्रभावित हैं। चीन की 16 प्रतिशत भूमि तथा 19 प्रतिशत कृषि भूमि प्रदूषित है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र बालकान देशों में 30 लाख स्थान और अमेरिका में 1300 स्थल मृदा प्रदूषण से प्रभावित हैं।

पृष्ठभूमि

मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में से किसी का भी अवांछनीय परिवर्तन जो पर्यावरण, जीवों और पौधों के लिए हानिकारक हो उसे 'भूमि प्रदूषण' कहा जाता है। यह मानवजीवन, फसल उत्पादन, मिट्टी की गुणवत्ता और उपयोगिता पर विपरीत प्रभाव डालता है। कैडमियम, क्रोमियम, तांबा, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, जंगली घास, जहरीली गैस आदि कुछ प्रमुख भूमि प्रदूषक हैं। उदाहरण के लिए यदि कीटनाशकों का उपयोग खेती के दौरान किया जाता है तो यह कीड़ों को मारने के अलावा पौधों और मिट्टी को भी प्रभावित करता है।

1999 से 2000 के बीच दुनिया भर के किसानों ने 1 करोड़ 7 लाख टन रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अब भी बिना किसी बाधा के चल रहा है। इन जहरीले रसायनों ने मिट्टी को प्रदूषित किया और अंततः खाद्य पदार्थों में प्रवेश कर हमें खतरनाक बीमारियों से संक्रमित किया। यहां तक कि नवजात शिशु भी इस घटना के कारण कई प्रकार की शारीरिक अक्षमताओं के साथ पैदा हो रहे हैं।

टैकोमा वाशिंगटन में करीब 1000 वर्ग मील का इलाका, जमीन पर वायु प्रदूषकों के गिरने की वजह से चंद मिनटों में प्रदूषित हो गया। इसलिए इस घटना को मिट्टी प्रदूषण के एक गंभीर उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है।

कारण

- भूमि पर औद्योगिक अपशिष्ट के अंधाधुंध निर्वहन और कारखानों आदि के अपशिष्टों से मृदा प्रदूषित होती हैं।
- कृषि के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि होने से मिट्टी की विषाक्तता बढ़ जाती है।
- जानवरों और मनुष्यों द्वारा खुले में मल त्याग करना।
- ठोस अपशिष्ट का संग्रह; यह भारत जैसे विकसित देशों में एक बड़ी समस्या है जहां कचरा और कचरा उत्पादों को तुच्छ नहीं समझा जाता है।
- परमाणु संयंत्रों से रेडियोधर्मी पदार्थ जो कि मिट्टी के संपर्क में आते हैं, मिट्टी तक पहुंचने पर ये पदार्थ लंबे समय तक मौजूद रहते हैं और विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं।
- नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया, नाइट्रिंग बैक्टीरिया की उपस्थिति में पौधों द्वारा जहां नाइट्रेट को मिट्टी से बाहर निकाल दिया जाता है।
- एसिड बारिश सामान्य मिट्टी में पी एच(Ph) को बढ़ा देती है, और प्राकृतिक मिट्टी को अम्लीय में परिवर्तित कर देती है।
- मृदा अपरदन, शीर्ष मिट्टी के नुकसान का कारण बनता है, मिट्टी को कम उपजाऊ बनाता है और जल की क्षमता को कम कर देता है, यह झीलों के पानी को रोक कर पानी के प्रदूषण में भी योगदान देता है, पानी के अवधान को बढ़ाता है और अंत में जलीय जीवन का नुकसान होता है।
- जल में salinization (मृदा लवणी भवन) से मिट्टी में घुलनशील लवण बढ़ता है और मिट्टी को विषैला बनाता है। खनन गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाएं जैसे कि तेल के कुएं में किसी प्रकार की आकस्मिक घटना, भूमि पर तेल का फैलना या यूरेनियम आदि प्राप्त करने के लिए खनन गतिविधियों के दौरान कोई हादसा।
- भूमिगत तेल भंडारण के लिए बने टैंकों द्वारा रिफाइनिंग संयंत्रों को तेल संचारित करने के लिए पाइप से होता रिसाव।
- मिट्टी में खतरनाक रसायनों को मिश्रित करने के कारण औद्योगिक दुर्घटनाएं।
- सड़कें तथा वैसे स्थान जहां मलबा फैला हुआ है।
- मिट्टी में दूषित पानी का निर्जलीकरण।
- कचरे, तेल और ईंधन को मिट्टी में मिलाना।
- लैंडफिल और अवैध डंपिंग स्पॉट्स का निर्माण।
- कोयला जलाने के बाद बची हुई राख।
- इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पादन की बड़ी मात्रा।

भूमि प्रदूषण के प्रभाव

प्रदूषक मिट्टी में मिलकर इसे विषाक्त बनाते हैं जिससे मिट्टी के प्राकृतिक रूप में रासायनिक परिवर्तन होने लगते हैं। मिट्टी को प्रदूषित करके एक तरह से हम खाद्य शृंखला की नींव को नष्ट कर रहे हैं। प्रदूषित मिट्टी बारिश के पानी के

माध्यम से नदियों और पानी के अन्य स्रोतों में पीने के पानी को दूषित करती है। रासायनिक उर्वरकों और जैव रासायनिक रसायनों के कारण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में एक असंतुलन पैदा होता है।

रूस, चीन और भारत दुनिया के ऐसे देशों में से हैं जहां जहरीली जमीन का प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। यूक्रेन में चेरनोबिल को दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा दुर्घटना के लिए याद किया जाता है। पेरू में ला ओरोया नामक जगह में सीसा, तांबे और जस्ता के अत्यधिक खनन के कारण मिट्टी प्रदूषित हुई थी।

मिट्टी में आर्सेनिक जैसे विषाक्त रसायनों के अत्यधिक होने, कोयला खनन और प्रदूषण की वजह से चीन की लिनफेन सिटी की जमीन प्रदूषित हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रोमाइट खानों की वजह से भारत में ओडिशा के सुकिंडा नामक जगह में भूमि प्रदूषण के कारण इस शहर के लोगों की जान खतरे में पड़ गई है। कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए जहरीले होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, कीटनाशकों, फार्मास्यूटिकल्स जैसे रसायनों के अत्यधिक उत्पादन के कारण गुजरात के वापी शहर में मिट्टी जहरीली हो गई है।

उत्तराखंड में किए गए एक अध्ययन में यह पता चला है कि एक साल में यूरिया की खपत में ढाई गुना बढ़ोतरी हुई है। पोटाश और फास्फोरस का उपयोग कम हो रहा है और यूरिया का उपयोग बढ़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ऊपरी मिट्टी की सतह में हुई क्षति के कारण हो रहा है। पहाड़ी जिलों में मिट्टी की ऊपरी सतह की क्षति वनों की कटाई के कारण तेजी से बढ़ रही है। यह बारिश के नुकसान के लिए अग्रणी है। यूरिया की बढ़ती उपयोग के साथ मिट्टी के स्वभाव में गड़बड़ी हो रही है। असंतुलित खाद के उपयोग से मिट्टी रोगग्रस्त हो जाती है।

मानव गतिविधियों के कारण मिट्टी का क्षरण और मिट्टी प्रदूषण के रूप में एक गंभीर समस्या पाई गई है। भारत सरकार के वन मंत्रालय का अनुमान है कि भारत की कुल भूमि का लगभग 57% इन कारणों की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 47 प्रतिशत कृषि पर खेती की जाती है जिसमें से लगभग 56-57 प्रतिशत भाग पर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में कमी देखी गई है। इसी तरह कुल वन क्षेत्रों में 55 प्रतिशत से कम पेड़ों का छाया क्षेत्र 40 प्रतिशत से कम है। आंकड़े स्पष्ट रूप से स्थिति का परिमाण दिखाते हैं।

भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय

भूमि प्रदूषण को कम करने और पूरी तरह से इसे रोकने के लिए कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। भूमि प्रदूषण के दूरगामी प्रभावों को देखते हुए इस पर तुरंत प्रभाव से नियंत्रण लगाना आवश्यक है।

दुनिया भर में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने मजबूत नियामकों के विकास के माध्यम से भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफलता पाई है हालांकि भारत और चीन जैसे कई बड़े एशियाई देशों ने इस दिशा में कोई बड़ी प्रगति हासिल नहीं की है।

गौरतलब है कि अमरीका में कॉम्प्रेहेंसिव एनवायर्नमेंटल रिस्पांस कंपनसेशन एंड लायबिलिटी एक्ट (CERCLA) ने मिट्टी के उपयोग के लिए कई नियमों की स्थापना की है जिसके कारण वहां से हजारों संक्रमित साइटें साफ हो गई हैं। इंग्लैंड में मिट्टी के प्रदूषण को रोकने के लिए कई नियम बनाए गए हैं जिसके द्वारा भूमि के प्रदूषण की समस्या का सामना करने वाले स्थान के लोग इस संबंध में शिक्षित हुए हैं। निश्चित रूप से मिट्टी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियमों को अपनाने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार हैं:

1. **घरेलू कचरे का नियंत्रण:** घरेलू कचरा एकत्र होने के कारण भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। इसके लिए एक अच्छी योजना बनाकर रणनीति के अनुसार काम करने की आवश्यकता है। घरेलू कचरे में अधिकांश भाग भोजन जैसे जैविक कचरे का होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए हमें फ्रिज में भोजन को अधिक कुशलतापूर्वक स्टोर करना होगा। इस प्रकार हम भोजन की बर्बादी को कम कर सकते हैं और साथ ही जैविक अपशिष्ट के उत्पादन को कम कर सकते हैं तथा इन हानिकारक पदार्थों को मिट्टी में आने से रोकते हैं।
2. **औद्योगिक अपशिष्ट के उचित निपटान:** औद्योगिक प्रदूषण में बड़ी मात्रा में रासायनिक प्रदूषक पाए जाते हैं जो मिट्टी को प्रदूषित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक कचरे के उचित निपटान के लिए सख्त नियम बनाने और उनका कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। कारखानों के कचरे को शुद्ध करने के लिए पहले प्यूरीफाईंग प्लांट्स में भेजना चाहिए और उन पर उचित करवाई करने के बाद उन्हें जमीन में दबा देना चाहिए।
3. **रीसाइक्लिंग और पुनः प्रयोग:** मिट्टी प्रदूषकों के उत्पादन को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि हम वस्तुओं के रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए यदि आप कचरे में अपने घर का फर्नीचर फेंकना चाहते हैं तो आपको पहले यह देखना चाहिए किस प्रकार आप उस फर्नीचर को संशोधित कर उनका पुनः उपयोग कर सकते हैं।

फर्नीचर की तरह हम अपने घर में कई अपशिष्ट उत्पादों को रिसाइक्लिंग कर सकते हैं और कचरे के उत्पादन को कम कर भूमि प्रदूषण को रोक सकते हैं। घरेलू अपशिष्ट को लैंडफिल साइटों में फेंकने से हम अनजाने में मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं जो भूमि प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। मिट्टी की सुरक्षा के लिए रीसाइक्लिंग और पुनः उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है।

अन्य उपाय

1. जीवन में रसायनों के उपयोग को सीमित करें और एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाएँ।
2. रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर एकीकृत संयंत्र पोषक तत्व प्रबंधन को अपनाकर मिट्टी के मौलिक गुणों को मजबूत किया जाना चाहिए।
3. लवणता युक्त मिट्टी के सुधार के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए जिप्सम और पाइराइट जैसे रसायनों का उपयोग करना।
4. खेतों में जल निकासी को दूर करने के लिए जल निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी है।
5. वनों के कटाई को प्रतिबंधित करके मृदा क्षरण को रोका जाना चाहिए और मिटटी के पोषक तत्वों की रक्षा के लिए मिट्टी संरक्षण प्रणालियों को अपनाया जाना चाहिए।
6. जोनिंग सहित जमीन के इस्तेमाल का नियम भूमि क्षरण की समस्या को कम कर सकता है।
7. बाढ़ से नष्ट हुई भूमि की रक्षा के लिए आवश्यक योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन जरूरी हैं।
8. भूमि उपयोग और फसल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत जरूरी है।

निष्कर्ष

भूमि पर्यावरण की आधारभूत इकाई है। बड़े पैमाने पर हुए औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग से पूरे विश्व की मिट्टी प्रदूषित हो रही है। यदि इस समस्या का समाधान समय रहते नहीं किया गया तो मानव-जीवन के साथ ही जलवायु तथा पशु-पक्षियों की प्रकृति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। समग्रतः हम कह सकते हैं कि हमारे विकास का इतिहास रेत पर लिखने योग्य होगा। जहाँ न मानव स्वस्थ्य रहेगा और न ही पेड़-पौधे तथा पशु-पक्षी बचेंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

2. लेखापरीक्षण का सामाजिक उत्तरदायित्व

चर्चा का कारण

सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) ने हाल ही में सामाजिक लेखापरीक्षण को मजबूत आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए आदेशों की एक श्रृंखला पारित की है। मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वैधानिक आवश्यकताओं का हवाला देते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि सामाजिक लेखापरीक्षण के तहत राज्यों में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाए।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्थान में जनसुनवाई अधिकार के तहत मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को कानूनी रूप से प्रश्न पूछने, शिकायत दर्ज कराने और सुधारात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बनने की शक्ति दी जाती है। उन्होंने कहा कि सामाजिक लेखापरीक्षा संभावित रूप से एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक विधि बन सकते हैं जिसके द्वारा पारदर्शिता आएगी और लोगों को जवाबदेही के तहत संस्थागत रूप से जोड़ा जा सकता है।

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) क्या है?

सामाजिक लेखापरीक्षण या सामाजिक अंकेक्षण किसी भी कार्यक्रम अथवा क्रिया, जिसका संबंध प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से समाज से होता है, के सामाजिक निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया है। इसका प्रयोग किसी कार्य के प्राथमिक स्तर अर्थात् शुरूआत से लेकर क्रियान्वयन एवं उस क्रियान्वयन के दीर्घकाल तक के प्रभावों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जाँच और उस जाँच में परिलक्षित कमियों में सुधार का परीक्षण, औचित्यता के साथ किया जाता है ताकि समाज के हित में हर स्तर तक विकास हो सके।

दूसरे रूप में कहें तो सामाजिक लेखापरीक्षण योजनाओं के लाभान्वित समुदायों या लोगों द्वारा योजनाओं के धरातलीय कार्यान्वयन का मूल्यांकन करता है। इससे योजनाओं के कागजीय लक्ष्यों व वास्तविक प्राप्त किये गये लक्ष्यों के बीच की खाई को समझा जा सकता है। इसलिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भी अब कार्यों के सामाजिक परीक्षण पर बल देता है। विदित हो कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, में सामाजिक लेखापरीक्षण का प्रावधान किया गया है। इस कानून की धारा-17 के अनुसार एक वर्ष में ग्राम सभा द्वारा दो बार सामाजिक लेखापरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

पृष्ठभूमि

वर्ष 1993 के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय को अधिकार दिया गया है कि वे अपने इलाके में सभी विकास कार्यों का सामाजिक लेखापरीक्षण करें। इस काम में अधिकारियों को ग्राम-समुदाय का सहयोग करना अनिवार्य माना गया है। साल 1992-93 के संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि ग्राम सभा और नगर निगम निकायों के आगे विकास कार्यों से संबंधित बही खते रखे जाएं और जनता उनकी परीक्षा करे।

उल्लेखनीय है कि सामाजिक लेखापरीक्षण शब्द का पहली बार इस्तेमाल 1950 के दशक में हुआ। तब से लेकर यह शब्द भारत में खूब प्रचलित हुआ है जो इसके अंतर्गत बढ़ती गतिविधियों की सूचना देता है। इसी परिप्रेक्ष्य में मनरेगा के अनुच्छेद 17(2) में कहा गया है कि ग्राम सभा मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्राम पंचायत में चल रही सारी योजनाओं का नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण करेगी। फिर अनुच्छेद 17(3) में कहा गया है कि ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह सभी जरूरी कागजात मसलन मस्टर रोल, बिल वाऊचर, नाप-जोख से संबंधित दस्तावेज, पारित आदेशों की प्रतिलिपि आदि ग्राम सभा को सामाजिक लेखापरीक्षण के लिए मुहैया कराए।

सामाजिक लेखापरीक्षण के उद्देश्य

सामाजिक लेखापरीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. सामाजिक लेखापरीक्षण का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों व स्थानीय विकास के लिये आवश्यक संसाधनों के बीच का अंतर पता करना भी है। इससे संसाधनो के प्रबंधन की कुशलता बढ़ेगी तथा योजनाओं के लाभार्थियों के बीच जागरूकता बढ़ेगी।
2. सामाजिक लेखापरीक्षण का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोक लगाना व संसाधनों का सही लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाया जा सकता है जिससे कि वे देश के संसाधनों के सही इस्तेमाल के प्रति जागरूक होंगे।
3. सामाजिक लेखापरीक्षण के द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं की सटीक पहचान की जा सकती है। इन आवश्यकताओं की पहचान से आवश्यकताओं के अनुसार विकास को बढ़ावा देना व नीतियाँ बनाना एक प्रमुख उद्देश्य है।
4. सामाजिक लेखापरीक्षण का उद्देश्य है कि सराकर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं इसकी जाचं करना। स्थानीय लोगों के सहयोग से क्रियान्वयन में कमियों का पता लगाना व सरकारी विभाग के कर्मचारियों को इससे अवगत कराना आदि।

सामाजिक लेखापरीक्षण का लाभ

1. जिन संस्थाओं पर कैग का ऑडिट संबंधी अधिकार अस्पष्ट है, उनके ऑडिट के लिए सामाजिक लेखापरीक्षण कारगर विधि है। यह योजनाओं की प्रगति के भौतिक सत्यापन हेतु प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध करवाता है।
2. इससे लोगों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ती है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होती है।
3. सामाजिक लेखापरीक्षण केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह शासन को अपने दायित्वों के लिए प्रतिबद्ध और जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है।
4. यह समुदायों के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनमें सुधार करने में प्रशासन की सहायता करता है। यह प्रशासन के प्रति लाभार्थियों में विश्वास को पोषित करता है।
5. सामाजिक लेखापरीक्षण के दौरान व्यक्तियों व समुदायों का सशक्तिकरण व राजनीतिक ज्ञान बढ़ता है जिससे वे लोकतंत्र की व्यावहारिक क्षमताओं का अनुभव पाते हैं। इससे राजनीतिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। साथ ही नागरिकों में अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता व निष्ठा में बढ़ोतरी होती है।
6. इससे समाज के वंचित तथा अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा

मिलता है। सामाजिक लेखापरीक्षण साक्ष्यों व तथ्यों पर आधारित होता है। ऐसे में यह समाज के उन लोगों की पहचान करता है जो मनरेगा जैसी योजनाओं में अपनी शक्तिशाली सामाजिक स्थिति का लाभ उठाते हुये अनुचित तरीके से लाभ पाते हैं जबकि वास्तविक गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।

6. मनरेगा सामाजिक लेखापरीक्षण को वैधानिक आवश्यकता के रूप में जनादेश देने वाला पहला कानून था। हालांकि मनरेगा के भीतर सामाजिक लेखापरीक्षण ने धीमी गति से प्रगति की है। राजस्थान में उन्हें सबसे अधिक विरोधियों का सामना करना पड़ा है।

7. सामाजिक लेखापरीक्षण संस्थाओं व उनसे सम्बन्धित लोगों को धमकियाँ व उनको क्षति पहुँचाने की कोशिशे इनको सत्यापन के लिए आवश्यक प्राथमिक साक्ष्यों तक पहुंचने में मुश्किल पैदा करती है।

8. इससे प्राप्त परिणामों पर गहन विश्लेषण और चिंतन नहीं होता अतः इनके बाद होने वाली कार्रवाई का स्वरूप सीमित होता है।

9. कर्मचारियों का बेतहाशा होने वाला स्थानांतरण कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय करने में मुश्किल पैदा करता है। इसके अलावा लोगों की भागीदारी का अभाव, समय पर बैठकों का न होना भी सामाजिक लेखापरीक्षण में एक बड़ी बाधा है।

सामाजिक लेखापरीक्षण की सीमाएँ

तमाम अच्छाईयों व अधिकारों के बाद भी सामाजिक लेखापरीक्षण की कुछ सीमाएं हैं जिसे निम्नलिखित बिंदुओं के तहत देखा जा सकता है-

1. सामाजिक लेखापरीक्षण स्थानीय प्रकृति का होता है तथा इसमें ऑडिट के कई पहलुओं की अनदेखी की जाती है।
2. आँकड़ों की पर्याप्त अनुपलब्धता भी सामाजिक लेखापरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा है।
3. सामाजिक लेखापरीक्षण योजनाओं से प्रभावित होने वाले लोगों व सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाता है। जमीनी स्तर पर ऐसी संस्थाओं की भारी कमी है तथा ऐसी संस्थाओं को बनाने में भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।
4. प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव भी सामाजिक लेखापरीक्षण की इस प्रक्रिया को गतिहीन कर देता है।
5. आम जनता में शिक्षा का अभाव व अपने अधिकारों के बारे में अनभिज्ञता भी सामाजिक लेखापरीक्षण में बाधा डालती है।

आगे की राह

1. सामाजिक लेखापरीक्षण की प्रणाली को एक संस्थागत ढांचे के रूप में विकसित करने के लिए सहकारी समर्थन की आवश्यकता है।
2. सामाजिक लेखापरीक्षण के लिए नागरिक समूहों को भी आगे आना होगा जिससे कि स्थानीय स्तर पर इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।
3. सामाजिक लेखापरीक्षण अधिकारियों को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाये जिससे वे अपने कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें।
4. सामाजिक लेखापरीक्षण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह आम नागरिकों को दिया जाने वाला वह अधिकार है जो पूँजीवादी समाज में पूँजी के संकेंद्रण पर रोक व समाज के हितों को बढ़ावा देने का कार्य करता है।
5. न सिर्फ सरकार बल्कि नागरिक समाज को भी इसके विकास में अहम योगदान देना चाहिए जिससे कि भारत में भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित हो सकें और देश तेजी से विकसित देश की ओर बढ़ सके।
6. सामाजिक लेखापरीक्षण के सही क्रियान्वयन से सरकार की "सबका साथ सबका विकास" की अवधारणा को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना अतिआवश्यक है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।

■

3. समेकित कृषि प्रणालीः किसानों की वर्तमान आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए 33,269 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसी परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल लिवस्टाफ रिसर्च इंस्टिट्यूट के साउथ एशिया के प्रतिनिधि डॉ. हबीबुर्रहमान और फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम विशेषज्ञ 'कोडा रेड्डी' भारत में समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने वाले किसानों से मिले। इनका कहना था कि किसानों को कम लागत में अधिक से अधिक फसल प्राप्त करने के लिए समेकित खेती को अपनाना चाहिए। इसके लिए फल, सब्जी की खेती करनी चाहिए, पशुपालन करना चाहिए, इनके दूध से किसानों का पोषण होगा, खेती में ही चारे की व्यवस्था हो सकेगी, पशुपालने से दूध का खर्च बचेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि पशुओं के गोबर से खाद्य तैयार होगी और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिससे किसानों का यूरिया खर्च कम होगा।

क्या है समेकित कृषि प्रणाली?

समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल-सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी का इस प्रकार समायोजन किया जाता है जिससे कि वे एक-दूसरे के पूरक बन सके। इस प्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए संसाधनों की क्षमता, उत्पादकता और लाभ प्रदता में वृद्धि की जा सके। इससे कृषि लागत में कमी आने के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इस प्रणाली के तीन मुख्य भाग हैं:

1. मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली।
2. फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली।
3. पशुधन आधारित समेकित कृषि प्रणाली शामिल है।
   - मत्स्य आधारित समेकित कृषि प्रणाली में बागवानी सह मत्स्यकी, धान्य फसल सह मत्स्यकी, रेशम पालन सह मत्स्यकी, बत्तख पालन, कुक्कुट पालन, सूअर पालन, बकरी पालन और खरगोश पालन शामिल है।
   - फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली में मत्स्यकी, बत्तख पालन, बागवानी और बागवानी सह चारागाह शामिल है।

- वहीं पशुधन आधारित समेकित कृषि प्रणाली में फसल के साथ बकरी पालन, दुधारु पशु पालन और बागवानी सह सूअर पालन शामिल है।

समेकित कृषि प्रणाली के फायदे

समेकित कृषि प्रणाली के निम्न फायदे हैं-

आय में इजाफाः समेकित कृषि प्रणाली खेतों के स्तर पर अपशिष्ट पदार्थों का परिष्कार करके उसे दूसरे घटक को बिना किसी लागत या बहुत कम लागत पर उपलब्ध कराने का समग्र अवसर प्रदान करती है। इस तरह एक उद्यम से दूसरे उद्यम के स्तर पर उत्पादन लागत में कमी लाने में मदद मिलती है। इससे निवेश किये गए प्रत्येक रुपए से काफी अधिक मुनाफा मिलता है। अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण की स्थापना के लिये बाजार पर निर्भरता कम होती है।

गरीबी उन्मूलनः देश में किसानों की आर्थिक दशा काफी दयनीय है एवं किसानों पर कर्ज का भार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में समेकित कृषि प्रणाली के द्वारा किसानों के पास जो भी संसाधन हैं उनका भरपूर उपयोग करके आर्थिक दशा को सुधारा जा सकता है।

किसान आत्महत्या में कमीः समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी जिससे उनमे आत्मनिर्भरता आएगी और किसान आत्महत्या में कमी आएगी।

कृषि के साथ रोजगार के अवसरः खेती के साथ अन्य गतिविधियों को अपनाने से रोजगार की माँग उत्पन्न होती है जिससे पूरे साल परिवार के सदस्यों को रोजगार मिलता है। खेती के साथ-साथ मछली पालन, मुर्गीपालन और पशुपालन जैसी गतिविधियों को अपनाकर सालाना 221 श्रमदिवसों का रोजगार प्रति हेक्टेयर उपलब्ध हो जाता है। वर्तमान कृषि प्रणाली में विविधता लाकर अगर मुर्गीपालन और मछली पालन को भी अपना लिया जाये तो दोनों में सालाना 15-15 श्रम दिवसों के बराबर रोजगार जुटाया जा सकता है। पुष्प उत्पादन, मधुमक्खी पालन और प्रसंस्करण से भी परिवार को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होता है।

भोजन और पौष्टिक आहार की पूर्ति तथा बाजार पर निर्भरता घटानाः प्रत्येक कृषक परिवार को छह बातों में आत्मनिर्भर होना चाहिए जिनमें शामिल हैं- खाद्यान्न, चारा, आहार, ईंधन, रेशा और उर्वरक। विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली में फसल + मवेशी + मछली पालन + बागवानी + मेड़ पर वृक्षारोपण शामिल हैं। इनमें भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के मानदण्डों के अनुसार पौष्टिक आहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये खेतों से ही पर्याप्त मात्रा में अनाज, दलहनों, तिलहनों, सब्जियों, फलों, दूध और मछली का उत्पादन होता है। इसके अलावा, इस तरह के मॉडल मवेशियों के लिये पूरे साल पर्याप्त मात्रा में हरे चारे की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। विभिन्न वस्तुओं के खेतों में ही उत्पादन से बाजार पर निर्भरता कम होती है।

जोखिमों में कमीः समेकित कृषि प्रणाली दृष्टिकोण अपनाने से खेती के जोखिमों को कम करने, खासतौर पर बाजार में मंदी और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न खतरों से बचाव में भी मदद मिलती है। एक ही बार में कई घटकों के होने से एक या दो फसलों के खराब हो जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसके अलावा, इससे मौसम सम्बन्धी जोखिमों से भी बचाव होता है।

जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादकता और आजीविका में सुधारः कुछ खास क्षेत्रों, खासतौर पर कम मात्रा में पौष्टिक आहार लेने वाले जनजातीय क्षेत्रों में समेकित कृषि को बढ़ावा देने से जमीन और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में बड़ी मदद मिल सकती है। इसमें चावल और मक्का जैसे अनाज, सोयाबीन, मसूर और मटर जैसी दलहन और तिलहनों सब्जियों के साथ-साथ असमिया नींबू और पपीते जैसी सब्जियों, फलों और चारे को शामिल किया गया है।

किसानों की भागीदारी पर आधारित सुधार और शोधः सीमान्त परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिये कृषि प्रणालियों के बारे में अभिनव दृष्टिकोण से संकेत मिलता है कि अगर मौजूदा प्रणाली में भेड़-बकरी तथा मुर्गियों आदि को शामिल कर दिया जाये तो इससे आमदनी और रोजगार में बढ़ोत्तरी हो जाती है।

सरकारी पहल

सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने के लिए निम्न सराहनीय कदम उठाई हैं-

- मत्स्यिकी, जलजीव संवर्धन और पशुपालन के क्षेत्र में संलग्न कृषकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान।
- मत्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए 'फिशरीज' एंड 'एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड' की स्थापना।
- इस फंड के लिए 10,000 करोड़ रूपये के धन राशि अलग से निर्धारित की गई है।
- मत्स्य प्रग्रहण के क्षेत्र में अधिक लाभ लेने के उद्देश्य से अब अंतरिक्ष विज्ञान और आईसीटी का भी उपयोग किया जाने लगा है।
- ''राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड'' की स्थापना 2006 में स्वायत्तशासी संस्था के तौर पर पशुपालन डेयरी एवं मत्स्यिकी विभाग (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय) के अंतर्गत की गई थी। इसी बोर्ड के माध्यम से मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- मत्स्य पालन क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए नीली क्रांति के अंतर्गत सभी मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर योजना की पुनर्संरचना की गई है।
- पाँच वर्षों के लिए 3000 करोड़ रूपये के व्यय से एकीकृत मछली पालन विकास एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गई है।
- प्रति वर्ष औसतन 48.35 लाख मछुआरों का बीमा।
- बजट का प्रावधान 2016-17 के 147 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 2017-18 में 401 करोड़ रूपये किया गया।
- मछुआरों के दुर्घटना मृत्यु और स्थायी अपंगता के लिए बीमा कवच राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रूपये किया गया।
- कृषि क्षेत्र में स्थानीय-स्तर पर रोजगार की जरूरतों को पूरा करने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना (2006) में 'राष्ट्रीय बागवानी मिशन' का शुभारंभ किया गया।
- सरकार फसल आधारित समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान उद्यान विभाग से मिलता है।
- 'मधुमक्खी पालन वित्तपोषण योजना' इस योजना के तहत सरकार की ओर से शहद के छत्तों के निर्माण के लिए, कोलोनीज की खरीद, मधुमक्खी रखने के लिए बक्सों तथा उपकरणों की खरीद के साथ-साथ इससे जुड़े उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी है।
- समेकित बागवानी मिशन की शुरूआत वर्ष 2014-15 में की गई।

- 'मलबरी स्वावलंबन योजना' इस योजना के अंतर्गत रेशम संचालनालय द्वारा शहूतत पौधारोपण प्रति एकड़ 6,200 रूपये की मदद दी जाती हैं।
- 22000 ग्रामीण हाटों को ग्रामीण कृषि बाजार के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- 'रेशम कीट पालन हेतु वित्त-पोषण' इस योजना के अंतर्गत रेशम की खेती से संबंधित कार्यकलापों में व्यस्त व्यष्टिगत किसान, स्वयं सहायता समूह, फर्म, कंपनियों को आर्थिक रूप से मदद दी जाती है।
- 1984 में 'राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड' का गठन किया गया था।
- पशुधन आधारित समेकित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं।
- 'पशुधन बीमा योजना' 10वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007-08 में प्रयोग के तौर पर देश के 100 चयनित जिलों में क्रियान्वित की गई थी। अब यह योजना देश के सभी 716 जिलों में नियमित रूप से चलाई जा रही है।
- देशी गायों तथा उनकी नस्लों का संरक्षण करने के उद्देश्य से सरकार ने दिसंबर, 2014 में 'राष्ट्रीय गोकुल मिशन' के नाम से एक व्यापक योजना प्रारंभ की है जिसका मुख्य उद्देश्य देशी नस्ल की गायों का संरक्षण, संवर्धन और उत्पादकता विकास है। इस योजना के अंतर्गत 30 नवम्बर, 2017 तक 582 करोड़ रूपये की 27 राज्यों में परियेजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।
- 30 नवम्बर, 2017 तक 12 राज्यों में 18 गोकुल ग्रामों की स्थापना को मंजूरी के साथ आवश्यक फंड भी स्वीकृत कर दिए गए हैं।
- आधुनिक तकनीकी और विज्ञान का उपयोग करके डेयरी पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से 825 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय 'बोवाइन उत्पादकता मिशन' नवम्बर, 2016 में शुरू किया गया। इसके अंतर्गत अधिक उत्पादकता वाले पशुओं की आसानी से खरीद-बिक्री के लिए 'ई-पशुधन हाट पोर्टल' का संचालन नवम्बर, 2016 से प्रारंभ किया गया।
- दुधारु पशुओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए 12 अंकों के विशिष्ट आईडी टैग के साथ नकुल स्वास्थ्य-पत्र जारी करने की व्यापक कवायद शुरू हो गई है।
- डेयरी के माध्यम से किसानों की आमदनी दोगुनी करने और श्वेतक्रांति के प्रयासों को तेज गति से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान 10,881 करोड़ रूपये की लागत से एक विशेष कोष का गठन किया है। इसे 'डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष' का नाम दिया गया है।
- कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन वर्ष 2014-15 में शुरू की गई जिसके चार-उपमिशन हैं। इस मिशन में पशुधन, सूअर विकास, खाद्य एवं चारा विकास, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आजीविका के रूप में पशुपालन विस्तार को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।

चुनौतियाँ

- देश के विभिन्न भागों से किसानों का कहना है कि खेती की तागत बढ़ती जा रही है।
- फसल अवशेषों की पाचकता और प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण उनकी पोषकता मान बहुत कम होती है। विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं जैविक तरीकों से फसल अवशेषों की पाचकता बढ़ायी तो जा सकती है परन्तु ये तरीके महंगे होने के साथ आसानी से उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण निर्धन, लघु एवं सीमांत किसानों के लिए यह व्यावहारिक नहीं रह जाता है।
- फसल अवशेष मृदा की उर्वरता को पुनर्जीवित भी करते हैं, अत: पशु खाद्य के रूप में उनका प्रयोग भूमि की उर्वरता को प्रभावित करता है।
- कृत्रिम गर्भाधान व रोगों के बचाव के लिए टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सुविधाएँ हर पशुपालक, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में आसानी से उपलब्धता नहीं हैं।
- भारतीय दुग्ध व्यवसाय के सामने मिलावटी दूध का बढ़ता प्रचलन एक बड़ी चुनौती है।
- दुधारु पशुओं को नाजायज टीके लगाए जाते हैं।
- पशुधन की विशाल संख्या के बदले में पशुचिकित्सकों की बेहद कमी।
- बुनियादी सुविधाओं का अभाव।
- इस क्षेत्र में बजट का कम आवंटन।
- देश में निरंतर बढ़ते मत्स्य उत्पादन के बावजूद अभी प्रति मछुआरा/वर्ष मत्स्य उत्पादन महज 2 टन है जबकि नार्वे में 172 टन, चिली में 72 टन व चीन में 6 टन है।
- मत्स्य संगठनों द्वारा लंबे समय से मत्स्यिकी क्षेत्र को कृषि मंत्रालय से अलग करने की मांग।
- मत्स्यिकी का क्षेत्र अभी भी बड़े पैमाने पर असंगठित है।
- अमूमन मछुआरा समुदाय अशिक्षित और अप्रशिक्षित होने के साथ आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर है।

आगे की राह

मौजूदा कृषि प्रणालियों में फसलों व उनके तौर-तरीकों में विविधता, पशुधन घटकों में सुधार, बागवानी, किचन गार्डनिंग, प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण और मेंड़ों पर वृक्षारोपण करना ऐसे जरूरी उपाय शामिल हैं जिनसे भारत के छोटी काश्त वाले किसानों की खेती से होने वाली आय को सुधारा जा सकता है।

समेकित कृषि प्रणाली अपनाने के लिये निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं

1. बाजारोन्मुख विविधीकरण, आजीविका बढ़ाने और इसके लिये वैकल्पिक फसल उगाने, बेहतर किस्म के मवेशी पालने और प्राथमिक कच्चे माल के मूल्य संवर्धन पर विशेष रूप से जोर दिया जाना चाहिए।
2. फसल, बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन कार्यक्रमों के समन्वय पर आधारित राष्ट्रीय समेकित कृषि प्रणाली शुरू की जानी चाहिए ताकि समेकित कृषि प्रणाली दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले।
3. समेकित कृषि प्रणाली की अवधारणा का खेती की प्रणालियों के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम-स्तर पर प्रदर्शन करने से किसान परिवारों की स्थिति में समग्र रूप से सुधार होगा।
4. मृदा स्वास्थ्य कार्ड से कृषि और कृषि प्रणाली स्वास्थ्य कार्ड के स्तर पर जाने की आवश्यकता है ताकि मिट्टी, पौधे, पशुधन और पारिवारिक-स्तर पर कृषकों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके।
5. सम्बद्ध पक्षों (किसानों और विस्तार कार्यकर्ताओं) की क्षमता, खासतौर पर उनके कौशल के विकास की आवश्यकता है जिसमें टेक्नोलॉजी का भी योगदान होना चाहिए।
6. फसल और चारे वाली फसलों की अदला-बदली करके बुआई : इसके अन्तर्गत

फसलों, चारे और उच्च मूल्य वाली फसलें, जैसे सब्जियाँ, फलदार वृक्ष, औषधीय व सुगन्धित पौधों वाली फसलें और फलों के बाग शामिल हैं।

7. किसानों की पसन्द के अनुसार स्थान विशेष के लिये खास मवेशी पालना, खासतौर पर बकरी, भेड़, सूअर जैसे छोटे पशु पाले जाने चाहिए और इसमें तकनीकी मदद भी ली जानी चाहिए।

8. उत्पादों में विविधता लाकर (प्रक्रिया और उत्पादों में भौतिक परिवर्तन की दृष्टि से) किसानों की आमदनी/मासिक आय में सुधार किया जाना चाहिए।

9. मौजूदा प्रणाली के तहत ऐसी गतिविधियों को भी अपनाया जाना चाहिए जिसमें कम जमीन की आवश्यकता हो, जैसे मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन आदि।

10. समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने तथा किसानों की आय दोगुना करने के लिए इससे संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास आवश्यक है। साथ ही किसानों को शिक्षण तथा प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है। राजनैतिक इच्छा शक्ति को बलवति करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

■

4. ब्रेक्जिट के बाद भारत-ब्रिटेन संबंध

चर्चा का कारण

हाल ही में ब्रिटेन में संपन्न राष्ट्रमंडल देशों की शिखर बैठक में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री 'टेरीजा मे' के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री 'टेरीजा मे' को भरोसा दिलाया कि यूरोपीय संघ को छोड़ने के बावजूद ब्रिटेन का महत्व भारत की नजरों में कम नहीं होगा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में नयी ऊर्जा का संचार करने पर सहमति जताई। दोनों के बीच बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ आंतकवाद से निपटने, अतिवाद और ऑनलाइन उग्रवाद के विषय में "सार्थक विचार विमर्श" हुआ। मोदी ने 'टेरीजा मे' को भरोसा दिया कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्तों को और आगे बढ़ाने के अवसर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार तक पहुंचने के लिये लंदन शहर भारत के लिये काफी महत्वपूर्ण है और बना रहेगा।"

क्या है ब्रेक्जिट

ब्रिटेन ने 23 जून 2016 को 28 देशों के समूह यूरोपीय संघ (ईयू) से बाहर निकलने का फैसला किया। ब्रिटेन के इस फैसले को ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है।

ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से स्वयं को अलग करने के लिए 23 जून 2016 को जनमत संग्रह आयोजित कराया। इसके नतीजे में 51.89 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपियन संघ (ईयू) से बाहर होने के पक्ष में वोट दिया जबकि 48.11 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में वोट दिया। मतदान के परिणाम के अनुसार,

पूर्वोत्तर इंग्लैंड, वेल्स और मिडलैंड्स में अधिकतर मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए वोट किया जबकि लंदन, स्कॉटलैंड और नॉर्दन आयरलैंड के ज्यादातर मतदाता यूरोपीय संघ के साथ ही बने रहना चाहते थे।

ब्रेग्जिट का प्रभाव

ब्रिटेन के इस निर्णय से यहाँ की मुद्रा, पाउंड में भारी गिरावट आई है। पाउंड में पिछले 31 सालों में ये सबसे बड़ी गिरावट है।

- ब्रिटिश जीडीपी को 1 से 3 प्रतिशत नुकसान हो सकता है।
- ब्रिटेन के लिए सिंगल मार्केट सिस्टम खत्म हो जाएगा।
- दूसरे यूरोपीय देशों में ब्रिटेन को कारोबार से जुड़ी दिक्कतें होंगी।
- पूरे यूरोपियन यूनियन पर ब्रिटेन का दबदबा खत्म हो जाएगा।
- ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन के बजट के लिए 9 अरब डॉलर नहीं देने होंगे।
- ब्रिटेन की सीमाओं पर बिना रोक-टोक के आवाजाही पर लगाम लगेगी।
- फ्री वीजा पॉलिसी के कारण ब्रिटेन को हो रहा नुकसान भी कम होगा।

पृष्ठभूमि

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनने का फैसला किया इसी के साथ ब्रिटेन-भारत संबंधों की शुरूआत एक नये सिरे से होती है। हालांकि दोनों देशों ने भिन्न राजनयिक मार्गों को अपनाया। विशेष रूप से भारत 'नाम' आंदोलन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख सहयोगी के रूप में रहा हालांकि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और राजनयिक संबंध आमतौर पर सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

द्विपक्षीय संबंध जिसे 2004 में सामरिक साझेदारी के रूप में स्तरोन्नत किया गया, को 2010 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरन की भारत यात्रा के दौरान और सुदृढ़ किया गया जिसके दौरान भविष्य के लिए परिवर्धित साझेदारी की नींव रखी गई। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए यू.के. सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए 3 बार अर्थात् 2010 में, फरवरी 2013 में और फिर नवंबर 2013 में भारत का दौरा किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 से 14 नवंबर, 2015 के दौरान यू.के. यात्रा से सबसे बड़े एवं सबसे पुराने लोकतांत्रिक देशों के बीच संबंध एक नई ऊँचाई पर पहुँच गए। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने विजन वक्तव्य का समर्थन किया जिनपर यूके-भारत साझेदारी निर्मित है।

यूनाइटेड किंगडम ने इंदौर, पुणे और अमरावती में स्मार्ट शहरों के विकास में भारत के साथ साझेदारी करने में अपनी रूचि की अभिव्यक्त की है। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा हुई। दोनों पक्षों द्वारा उच्च

स्तर पर अनेक द्विपक्षीय यात्राएं एवं अंत:क्रियाएं हुई हैं, वर्ष 2017 को भारत-ब्रिटेन सांस्कृतिक वर्ष के रूप में मनाया गया। हाल ही में अप्रैल, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन का ऐतिहासिक दौरा संपन्न किया।

व्यापार: यूनाइटेड किंगडम भारत के प्रमुख व्यापार साझेदारों में से एक है। वर्ष 2014-15 के दौरान यूनाइटेड किंगडम भारत के शीर्ष 25 व्यापार साझेदारों में 18वें स्थान पर था। वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2014-15 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 14.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो 2013-14 की तुलना में 9.39 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। भारत के वैश्विक व्यापार में यूनाइटेड किंगडम का शेयर 2013-14 में 2.07 प्रतिशत से घटकर 2014-15 में 1.89 प्रतिशत हो गया है।

निवेश: मारीशस और सिंगापुर के बाद यूनाइटेड किंगडम 22.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी इक्विटी निवेश के साथ भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। अप्रैल 2000 से सितंबर 2015 की अवधि के लिए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की दृष्टि से यूनाइटेड किंगडम जी-20 देशों में पहले स्थान पर है तथा कुल एफडीआई के लगभग 9 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। पिछले 5 वर्षों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 2011-12 में 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2014-15 में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। यूनाइटेड किंगडम में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परियोजनाओं के लिए भारत आज भी सबसे बड़े स्रोत बाजारों में से एक के रूप में बना हुआ है। भारत यूनाइटेड किंगडम के लिए एफ डी आई का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया जिससे 9,000 से अधिक नई नौकरियों का सृजन हुआ है।

शिक्षा: शिक्षा, भारत-यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय संबंध का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के दौरान शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:

1. 2016 भारत-यूनाइटेड किंगडम शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार वर्ष के रूप में मनाया गया।
2. स्कूल स्तर पर वर्चुअल साझेदारी शुरू की जाएगी ताकि दोनों देशों के युवा एक-दूसरे देश की स्कूल प्रणाली का अनुभव प्राप्त कर सकें और संस्कृति, परंपराओं तथा सामाजिक एवं पारिवारिक प्रणालियों को समझ सकें।
3. यूनाइटेड किंगडम ने यह योजना बनाई है कि 2020 तक यूनाइटेड किंगडम के 25,000 छात्र जेनरेशन यूनाइटेड किंगडम-भारत कार्यक्रम के माध्यम से भारत जाएंगे, जिसमें 2020 तक भारत में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ 1000 यू.के. इंटर्न शामिल हैं।
4. भारत-यूनाइटेड किंगडम शिक्षा एवं अनुसंधान पहल के तीसरे चरण का श्रीगणेश।
5. यूनाइटेड किंगडम एवं भारत की अर्हताओं को परस्पर मान्यता प्रदान करने की प्रतिबद्धता।

सांस्कृतिक सहलग्नताएं: भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सांस्कृतिक सहलग्नताएं गहरी एवं व्यापक हैं जो दोनों देशों के बीच साझे इतिहास से उत्पन्न हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम में अनेक भारतीय सांस्कृतिक संगठन हैं जो भारतीय डायास्पोरा, ब्रिटिश संगठनों एवं लोगों को शामिल करके भारतीय संस्कृति का सक्रियता से प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। नेहरू केंद्र यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायोग का सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है जिसकी स्थापना 1992 में हुई है तथा इस समय यह विदेश में आईसीसीआर के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सांस्कृतिक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन भी है जिस पर अक्टूबर 2014 में मंत्रीस्तर पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो अक्टूबर 2019 के अंत तक प्रभावी है।

भारतीय समुदाय: यूनाइटेड किंगडम में भारतीय समुदाय, देश के सबसे बड़े जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या 1.5 मिलियन के आसपास है जो कुल आबादी के लगभग 1.8 प्रतिशत के बराबर है तथा देश की जीडीपी में 6 प्रतिशत का योगदान कर रहा है।

वर्तमान परिदृश्य

हाल ही में संपन्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दी है अपने संबंधों को और मजबूत करते हुए, भारत और ब्रिटेन ने 18 अप्रैल 2018 को नौ समझौतों पर हस्ताक्षर किये। इनमें तकनीक, व्यापार एवं निवेश जैसे विषय शामिल हैं। यह समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान किये गये।

भारत-ब्रिटेन के मध्य साइबर संबंधों हेतु फ्रेमवर्क समझौता: भारत और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच साइबर संबंधों के लिए एक समझौता किया ताकि दोनों देशों के मध्य मुक्त, शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित साइबरस्पेस विकसित किया जा सके।

- इस समझौते के तहत दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारियों को साझा करने तथा सुरक्षा के लिहाज से प्रबंधन हेतु हस्ताक्षर भी किये।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध के संबंध में जानकारी साझा करने हेतु एमओयू: दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध की स्थिति में जानकारियों का आदान-प्रदान करने तथा संगठित अपराध की दृष्टि में जानकारी साझा करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।

- आपराधिक रिकॉर्ड, आप्रवासन रिकॉर्ड और ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये।

गंगा पुनरुद्धार के लिए एमओयू: राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन (एनएमसीजी) एवं राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद् (एनईआरसी), यूके ने गंगा स्वच्छता हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

- इस समझौते के तहत ब्रिटेन भारत सरकार को गंगा की सफाई एवं प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत दोनों देश मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे जिससे गंगा स्वच्छता मिशन को मूर्त रूप प्रदान किया जायेगा।

सतत शहरी विकास हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर: भारत और ब्रिटेन ने सतत शहरी विकास के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग हेतु एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया।

- इस समझौते के तहत प्रोग्राम एवं प्रोजेक्ट डिजाईन, वित्तीय सहायता तक पहुंच, ज्ञान का आदान-प्रदान एवं अनुसंधान आदि शामिल हैं।
- इस समझौते से स्मार्ट सिटी मिशन में भी सहायता प्राप्त होगी।

कौशल विकास पर एमओयू: दोनों देशों ने कौशल विकास, वोकेशनल एजुकेशन एवं प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए सहमति जताई तथा एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

सुरक्षित परमाणु उर्जा के उपयोग पर समझौता: एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया (एईआरबी) तथा ऑफिस फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन (ओएनआर) के मध्य

परमाणु उर्जा के सुरक्षित एवं सुनियोजित उपयोग किये जाने हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया।

अन्य समझौते: भारत और ब्रिटेन ने पशुधन, मछली पालन एवं कृषि के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

- दोनों देशों में अनुसंधान एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने हेतु समझौता पत्र जारी किया गया।
- ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद (भारत) तथा कॉलेज ऑफ मेडिसिन (ब्रिटेन) के मध्य भी एक गैर-सरकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

भारत-ब्रिटेन संबंधों की आवश्यकता

- यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के फैसले के बाद भारत-ब्रिटेन संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ना तय है इसलिए भारत-ब्रिटेन संबंधों की महत्ता और बढ़ जाती है। भारत, ब्रिटेन का महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। इसीलिए वैश्विक ब्रिटेन की बात स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री बनने के बाद 'टेरीजा मे' ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए भारत का चयन किया था।
- ब्रिटेन की कुल जीडीपी में प्रवासी भारतीयों का लगभग 6% योगदान है इसके बाद भी भारत-ब्रिटेन का व्यापार काफी कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है साथ ही भारत को ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी।
- ब्रिटेन अगर यूरोपीय संघ में बना रहता है तो भारत को ब्रिटेन के बजाय यूरोपीय संघ से डील करनी पड़ेगी।
- यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद ब्रिटेन का इससे व्यापार कम हो जाएगा इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति हेतु ब्रिटेन, भारत से व्यापार बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार के रूप में उभर रहा है।
- भारत को ब्रिटेन के साथ अप्रवासन संबंधी मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता है साथ ही भारत ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि यह मुद्दा दोनों देशों के हित में नहीं है इसलिए इसे जल्द से जल्द हल किये जाने की आवश्यकता है।
- चूंकि भारत और यूरोपीय संघ के बीच सबसे बड़ा गतिरोध कृषि क्षेत्र की सब्सिडी है, लेकिन भारत-ब्रिटेन के बीच ऐसी कोई बाधा नहीं है।
- भारत को अपने विकास गति को बनाए रखने के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता है और ब्रिटेन पूंजी निवेश जुटाने और उसे क्रियान्वित करने की दक्षता रखता है।
- भारत अपने आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है तथा ब्रिटेन को आधारभूत संरचना निर्माण में विशेषज्ञता हासिल है।
- चूंकि भारत 'स्मार्ट सिटी योजना' के तहत विभिन्न शहरों का विकास करना चाहता है इस क्षेत्र में ब्रिटेन को स्थापत्य निर्माण एवं शहरी नियोजन में दक्षता हासिल है।
- भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और इसे अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए परंपरागत तथा नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होगी और ब्रिटेन इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है।
- चूंकि भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अगले 10 वर्षों में लगभग 50 करोड़ युवाओं को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में ब्रिटेन अग्रणी देश है।
- भारत को अपने सवा सौ करोड़ लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। ऐसे में ब्रिटेन, भारत का बड़ा मददगार साबित हो सकता है।
- अब भारतीय कंपनियों ने विश्व में अपनी अलग पहचान बना लीं हैं। फिर भी बैंकिंग, बीमा, आकउटेंसी, कानून जैसी सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें ब्रिटेन अहम रोल निभा सकता है।
- अगर भारत को वैश्विक स्वरूप हासिल कर अपनी छाप छोड़ना चाहता है तो ब्रिटेन को आधार स्थल बना सकता है और यहां से विश्व के सबसे बड़े एकल बाजार यूरोपीय संघ तक पहुँच सकता है।

चिंताएं

1. जब तक ब्रिटेन पूरी तरह यूरोपीय यूनियन से बाहर नहीं निकल जाता, जो वर्ष 2019 में संभावित है, वह किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता नहीं कर सकता है,
2. दूसरी ओर, चूंकि भारत सरकार विद्यार्थियों तथा कुशल कामगारों के लिए ब्रिटेन पहुंचने का रास्ता आसान करने को लेकर उत्सुक है, इसलिए दोनों देशों के बीच होने वाली हर बातचीत में वीसा की समस्या अहम मुद्दा रहने की संभावना है।
3. भारत में व्यापार के रास्ते की अड़चनों को कम करने तथा ब्रेक्जिट के बाद भारत से मुक्त व्यापार के लिए समझौते की समस्या।
4. भारत में आज भी नौकरशाही (लालफीताशाही) का ऐसा जाल मौजूद है, जिसकी वजह से आमतौर पर भारत को व्यापार करने के लिए दुनिया के सबसे कठिन देशों में शुमार किया जाता है।
5. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी काफी कम है- पिछले साल यह सिर्फ 14 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था, जो भारत और जर्मनी के बीच होने वाले व्यापार से भी कम है।
6. भारत में खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए वीजा पाबंदियों को लेकर नाराजगी है, जो यूनिवर्सिटी कोर्स खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में रहना चाहते हैं, और इसी वजह से वहां जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों में 50 फीसदी की कमी आई है।

आगे की राह

- 'थेरेसा मे' ने कहा, "साझा हितों वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए हमारे यूरोपियन यूनियन से बाहार निकल आने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।" लेकिन भारत को इस प्रक्रिया पर बारीक नजर रखकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए।
- विद्यार्थियों तथा कुशल कामगारों को आसानी से एक-दूसरे देशों में पहुँच बनाने के लिए वीजा नियमों को आसान बनाना होगा।
- चूंकि लालफीताशाही की वजह से भारत को दुनिया के सबसे कठिन देशों में शुमार किया जाता है। इस परंपरा को बदलने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में बहुत कम है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
- विद्यार्थियों से संबंधित वीजा पाबंदियों को लेकर उपजी समस्या को यथाशिघ्र सुलझाने की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

भारत के हितों, भारतीय डायास्पोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

5. क्या बदलेगी रक्षा क्षेत्र की कार्यपद्धति?

चर्चा का कारण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने रक्षा योजना समिति (Defence Planning Committee) गठित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समिति के अध्यक्ष होंगे। यह समिति मुख्य रूप से देश की सैन्य और सुरक्षा रणनीति, क्षमता विकास योजनाओं और रक्षा उपकरण अधिग्रहण जैसे कार्यक्रमों को गति प्रदान करेगी। यह समिति, एक स्थायी विभाग होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करेगी तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के रक्षा संबंधों की निगरानी करेगी। यह समिति अन्य उप-समितियों के साथ मिलकर कार्य करेगी।

यह 15 साल की दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना है। डीपीसी की रिपोर्ट रक्षा मंत्री को देना है और आवश्यकताअनुसार आगे की मंजूरी लेना है। केंद्र सरकार ने इस समिति का गठन रक्षा योजना और रणनीति को समन्वित तरीके से तैयार करने और सुरक्षा प्राथमिकताओं को सरकार के समक्ष रखने के लिए तैयार किया है। यह समिति मंत्रालयों से समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों पर काम करेगी। इसके माध्यम से सरकार नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करके रक्षा रणनीति को तैयार करने का काम करेगी।

रक्षा योजना समिति (DPC) के सदस्य

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, इंटिग्रेटिड डिफेंस स्टाफ के चीफ तथा रक्षा सचिव, विदेश सचिव एवं सचिव (वित्त) होंगे। राष्ट्रीय रक्षा योजना समिति के तहत चार उप-समितियों का गठन किया गया है जिसके साथ मिलकर यह समिति रक्षा-रणनीति एवं अन्य योजनाओं को तय करेगी। इन उप-समितियों में नीति एवं रणनीति समिति, योजना एवं क्षमता विकास समिति, रक्षा कूटनीति समिति एवं रक्षा विनिर्माण समिति शामिल होंगी।

रक्षा योजना समिति की उप-समितियां एवं उनके कार्य

1. **नीति एवं रणनीति उप-समितिः** बाह्य सुरक्षा खतरों का आकलन करना, रक्षा एवं सुरक्षा प्राथमिकताएं तय करना। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का निर्माण करना तथा मौजूदा सुरक्षा रणनीति की समीक्षा करना।
2. **योजना एवं क्षमता विकास उप-समितिः** उन मंत्रालयों तथा विभागों की पहचान करना जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर एक मंच पर लाया जा सकता है। क्षमता विकास योजना (CDP) का निर्माण करना तथा इसका समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। योजनाओं पर कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त करना तथा आर्थिक सहायता प्राप्त करना।
3. **रक्षा कूटनीति उप-समितिः** विदेश नीति की जरूरतों का मूल्यांकन करके रक्षा रणनीति बनाना। रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी अधिग्रहण और बिक्री की पहचान सुनिश्चित करना।
4. **रक्षा विनिर्माण उप-समितिः** अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक नीति तैयार करना ताकि देश की रक्षा आवश्यकताओं का बारीकी से विश्लेषण किया जा सके। स्वदेश में ही निर्माण प्रक्रिया हेतु विस्तृत रोडमैप तैयार करना। विनिर्माण नीति तैयार करना तथा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संरचनात्मक रूपरेखा तैयार करना।

सरकार द्वारा यह निर्णय देश की रक्षा योजना में केंद्रीकृत योजना के अभाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, इसके जरिए सरकार नागरिक और सैन्य एजेंसियों के समन्वय के जरिए रक्षा रणनीति तैयार करने का काम कर सकेगी।

आवश्यकता क्यों?

उल्लेखनीय है कि लोकसभा में पेश संसद की रक्षा मामलों की स्थाई समिति की रिपोर्ट में सेना के आधुनिकीकरण में पैसे की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई गयी है। इससे मौजूदा बजट में सेनाओं के आधुनिकीकरण में पैसे की कमी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी सांसद मेजर जनरल बी सी खंडूरी के नेतृत्व वाली रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति के सामने उप सेना प्रमुख गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल शरथ चंद ने कहा कि 2018-19 के लिए सेना को जो पैसा दिया गया है, वह उसकी मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए ही नाकाफी है, ऐसे में सेना का आधुनिकीकरण कैसे होगा।

उप सेना प्रमुख ने कमेटी के सामने कहा कि इस साल के बजट में जो बढ़ोतरी की गई है वह बहुत ही नाममात्र है और उससे सेना को मायूसी हुई है। यह बढ़ोतरी महंगाई और आवश्यक कमी को भी पूरा नहीं करती है। न सिर्फ सेना बल्कि नौसेना ने भी कैपिटल बजट को लेकर सवाल उठाए हैं। संसदीय समिति के सामने अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नौसेना ने कहा कि बजट में कमी की वजह से नौसेना की नई योजनाओं और मौजूदा सौदों को पूरा करने में दिक्कत होगी। इससे नौसेना के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ ही आधुनिकीकरण योजना को भी धक्का लगेगा।

ऐसे में रक्षा सम्बंधी स्थायी समिति ने रक्षा मंत्रालय से कहा है कि बजट प्रावधानों में आवश्यक बढ़ोतरी की जाए ताकि तीनों सेनाएं अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने में सक्षम हों और अपनी ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा कर सकें। कमेटी ने यह भी कहा कि हाल में सेनाओं के स्टेशन और बेसों पर आतंकी हमले को देखते हुए बजट में मिलिट्री बेसों की सुरक्षा के लिए अलग से बजट प्रावधान किया जाए। रक्षा मंत्रालय ने कमेटी के सामने अपने जवाब में कहा कि उसने पहले से ही तीनों सेनाओं के उप सेना प्रमुखों की वित्तीय क्षमता को 14,097 करोड़ तक बढ़ा दिया है। इस बजट में इस मद में अलग से कोई प्रावधान न किए जाने की वजह से जरूरी खरीद और सुरक्षा संबंधी इंतजामों के लिए अब खर्च में कटौती करनी पड़ेगी।

स्मरणीय है कि भारत वर्तमान में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ सामरिक मोर्चों पर लड़ रहा है ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। सैन्यबल की छोटी से लेकर बड़ी आवश्यकताओं को सही समय पर पूरा करना होगा जिससे कि वे अपनी और देश की सीमा सुरक्षा कर सकें। कई समितियों का सुझाव है कि गोला-बारूद से लेकर बड़े हथियारों तक को देश के अन्दर ही निर्मित किया जाए। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार मेक इन इंडिया एवं स्टार्टअप जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। सरकार का कहना है कि यदि हम रक्षा के क्षेत्र में एक योजना के तहत कार्य करेंगे तो अपनी मूल आवश्यकताओं को प्राप्त कर सकते हैं।

हाल ही में सेना से लेकर अर्द्धसैनिक बलों के बीच से कुछ ऐसी शिकायतें सामने आई जो किसी भी देश की सैन्य बल के लिए सही नहीं है। इसमें खाने-पीने से लेकर अधिकारी और

गैर-अधिकारी के बीच उत्पन्न विवाद प्रमुख हैं। हालांकि सरकार द्वारा इस पर त्वरित निर्णय लिया गया लेकिन सरकार चाहती है कि रक्षा योजना समिति के जरिए इस तरह की शिकायतों को देखा जाये और उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए।

इसके अतिरिक्त एक बड़ी समस्या तीनों सेनाओं, अर्द्धसैनिक बलों और सरकार के बीच समन्वय का अभाव होना भी है। सरकार समिति के जरिए इस समस्या का समाधान करना चाहती है। तीनों सेनाओं के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित होगा तभी देश की सुरक्षा प्रणाली चुस्त और अत्यधिक कारगर साबित होगी। सैन्यबल और नागरिक समाज के बीच भी बेहतर तालमेल स्थापित हो ऐसा सरकार चाहती है।

वर्तमान परिदृश्य

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति-निर्माण में परंपरागत रूप में केंद्रीय रणनीतिक योजना की कमी रही है: जैसे संगठित प्रक्रिया, दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करके असैन्य और सैन्य संस्थानों में खरीद और पूर्णता के प्रयास के जरिये पूरी तरह से समन्वय लाना आदि। इसके बजाय रक्षा नीति संबंधी गतिविधियों में मुख्यत: खरीद की इच्छा-सूचियों का संग्रह ही होता है। तीनों सैन्य सेवाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रधानमंत्री द्वारा समय-समय पर शुरू की गई पहल के साथ-साथ ये सूचियाँ अलग-अलग प्रस्तुत की जाती हैं। हाल ही के उदाहरणों में प्रधानमंत्री का वह निर्णय भी शामिल है, जिसमें रक्षा परियोजनाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) 49 प्रतिशत तक अधिकतम बढ़ाना है। भारत की विदेश और सुरक्षा नीति के सभी तत्वों में राजनैतिक लक्ष्यों और तदनुसार संसाधन जुटाने में स्पष्टता लाने के लिए वर्तमान सुरक्षा नीति में सुधार लाना आवश्यक है।

भारत के रक्षा विशेषज्ञ कई दशकों से वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने की माँग करते रहे हैं। तीनों सेवाओं की ओर से प्रधानमंत्री से बात करने के लिए किसी एक सैन्य प्रमुख रक्षा स्टाफ (CDS) की कमी है और यही कारण है कि अधिकांशत: गैर-विशेषज्ञ असैन्य अधिकारी नीति निर्माण करते हैं।

इस प्रकार की शिथिलता के अनेक उदाहरणों में से एक उदाहरण तो यही है कि कारगिल युद्ध के आरंभिक चरणों में "भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों और भारतीय वायुसेना (IAF) के बीच समन्वय की कमी के कारण समग्र प्रणाली ही लगभग अस्थिर हो गई थी। इसके अलावा, भारतीय सेना 1992-97 से केवल 5 प्रतिशत रक्षा कवच ही योजनाबद्ध रूप में प्राप्त कर पाई थी और 1997-2002 से इसमें केवल 10 प्रतिशत इजाफा ही हो पाया था।

वर्तमान केंद्र सरकार ने इन समस्याओं को समझा और भारत की रक्षा नीति में सुधार लाने की प्रक्रिया शुरू की। केंद्र सरकार ने तत्कालीन रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर के साथ मिलकर खरीद की प्रक्रिया तय करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद (DAC) का यही प्रयास था कि निवर्तमान सरकार की खरीद की बकाया सभी निविदाओं को निपटा दिया जाए। रक्षा खरीद परिषद (DAC) की प्रत्येक बैठक में अनेक निविदाओं का अनुमोदन करते हुए परिषद ने अगस्त, 2015 तक कुल 22.5 बिलियन डॉलर मूल्य की निविदाओं को निपटा दिया।

सैन्य नियोजन को संयुक्त बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में केंद्र सरकार की दिलचस्पी का पता इसी बात से चल जाता है कि उन्होंने हाल ही में नई साइबर, विशेष ऑपरेशन और ऐरोस्पेस (अंतरिक्ष) की तीनों सेवाओं की संयुक्त सेवा कमान बनाने की पुष्टि कर दी है। रक्षा संबंधी मामलों में यह कमान तीनों सेवाओं के लिए एक साथ मिलकर काम करेगी। सरकार प्रमुख रक्षा स्टाफ (CDS) की नियुक्ति पर भी विचार कर रही है। हाँलाकि ये कदम उत्साहवर्धक हैं, लेकिन सुसंगत और समन्वित रक्षा नीति की प्रक्रिया को विकसित करने के लिए अभी बहुत कुछ करना शेष है। रक्षा सुधारों की अंतिम सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर है कि सरकार इस पर कितना ध्यान देती है।

रक्षा योजना में चुनौतियाँ

ऐसा नहीं है कि रक्षा योजना पर पहले कार्य नहीं किया गया है लेकिन सरकार की अनिच्छापूर्ण रणनीति हमेशा चुनौती पेश करती है, जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देख सकते हैं:

1. रक्षा योजना की राहों में केन्द्रीय नीति की अनिश्चितता सबसे बड़ी चुनौती है। इससे एक ठोस और दीर्घकालीन रणनीति का अभाव हो जाता है।
2. रक्षा योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी सर्वथा रही है और इसकी शिकायत भी सैन्य बलों को रहती है। एक तरफ भारतीय सेना प्रमुख दो मोर्चे के युद्ध की बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ सेना के कर्मचारियों के उपाध्यक्ष रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष साक्ष्य दे रहे थे कि, रक्षा बलों को आवंटित बजट पहले से ही आपातकालीन खरीद के लिए किए गए भुगतानों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
3. रक्षा विभाग के सामने सैन्य प्रशिक्षण से लेकर, आर्थिक, खुफिया तंत्र और शैक्षिक विकास का पर्याप्त न होना भी एक चुनौती है।
4. तीनों सेनाओं के साथ-साथ नागरिक और रक्षा एजेंसियों को अपने मूल कार्य के अलावा भी कई कार्य करने पड़ते है जो उनके स्वाभामिक कार्य को प्रभावित करता है। इस समस्या का निदान भी अति आवश्यक है जो इस समिति के प्रमुख कार्यों में से एक है।
5. रक्षा योजना की मौजूदा प्रणाली के परिणामस्वरूप कई सुरक्षा चुनौतियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों से कम का प्रावधान, उन लक्ष्यों का पीछा करना जो तत्काल प्राथमिकता में नहीं है। जनशक्ति संचालित सैन्य आधुनिकीकरण का पीछा करते हुए नई तकनीकी प्रगति पर कम ध्यान देना, तथा रक्षा के क्षेत्र में नये-नये खोजों का अभाव आदि प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

निष्कर्ष

भारत में, संरचनाओं और प्रक्रियाओं में एक परिवर्तनीय बदलाव की आवश्यकता है। रक्षा योजना समिति से उम्मीद है कि यह रक्षा अधिग्रहण को तेज करेगी जिससे भारत की वर्तमान और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके। यह विदेश नीति अनिवार्यताओं का मूल्यांकन करेगी और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए एक रणनीति तैयार करेगी जिसमें भारत में किए गए उत्पादों के निर्यात और रक्षा कूटनीति के माध्यम से भारत के सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस तरह सरकार द्वारा रक्षा के क्षेत्र में रक्षा योजना समिति बनाकर एक सराहनीय कार्य किया जाएगा। समिति यदि अपने कार्य को सही तरीके से क्रियान्वित करती है तो भारत को रक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

6. पंचायती राज के 25 वर्षः एक अवलोकन

चर्चा का कारण

देशभर में 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया गया। यह दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। जिसके बाद इस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत साल 2010 से हुई थी। इस वर्ष के पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा की हमारे पास बापू के बताए रास्ते पर चलने के अवसर हैं। ऐसे में, हमें कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना चाहिए। हम देश में ग्रामीण विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं ज्ञात हो कि बापू ने हमेशा गाँवों के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने हमेशा ग्राम स्वराज की बात की। अत:अब हमें गाँव के विकास के बारे में सोचना होगा।

पृष्ठभूमि

भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय से ही स्थानीय शासन के महत्व को समझा जाने लगा था। तब प्रशासन की इकाई जिला स्थापित की गई थी एवं इसकी प्रशासन व्यवस्था जिलाधिकारी के अधीन थी। वर्ष 1882 में लार्ड रिपन के शासन के कार्यकाल में स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों को सम्मिलित करने के कुछ प्रयास किए गए एवं जिला बोर्डो की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा महत्व दिए जाने एवं ब्रिटिश शासन द्वारा लोगों को अपने प्रशासन में सम्मिलित करने के लिए 1930 एवं 1940 में अनेक प्रांतों में पंचायती राज संबंधी कानून बनाए गए। गौरतलब है कि संविधान के प्रथम प्रारूप में पंचायती राज व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था। गांधी जी के दबाव के परिणामस्वरूप इसे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया। इसके बाद से ही पंचायती राज को संविधान के अन्दर लाने के लिए प्रयास होते रहे हैं।

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ 1952 में हुआ था। लेकिन आम जनता इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप में जुड़ नहीं पाई। इसी समस्या के निदान के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति गठित की गई और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1958 में प्रस्तुत की। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित त्रिस्तरीय स्वरूप वाली पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। इसमें ग्राम पंचायत गाँव स्तर पर, पंचायत समिति प्रखंड स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को 12 जनवरी, 1958 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। बलवंत राय मेहता समिति की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रयोग के विचार से अगस्त, 1958 में कुछ भागों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। इसकी सफलता के फलस्वरूप 2 अक्टूबर, 1959 को स्वयं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सर्वप्रथम शुभारंभ किया। पंचायती राज प्रणाली लागू होने के कुछ समय उपरांत इसके समक्ष कुछ चुनौतियाँ आने लगी अत: पंचायती राज व्यवस्था में आई चुनौतियों और अवरोधों को दूर करने के लिए 1977 ई. में 'अशोक मेहता समिति' का गठन हुआ। इसके पश्चात 1985 ई. में 'जी. टी. के. राव समिति' तथा 1986 में 'लक्ष्मी मल सिंघवी समिति' का गठन किया गया। इन सभी समितियों की राय यही थी कि देश में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाना अनिवार्य है आगे चलकर बाद में भारतीय संसद द्वारा पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय संविधान में 73वां तथा 74वां संशोधन 1992 में किया गया। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल, 1993 से तथा 74वां संशोधन अधिनियम 1 जून, 1993 से लागू हो गया है। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है।

पंचायती राज की आवश्यकता क्यों

पंचायती राज प्रणाली एक लोकतांत्रिक देश को सुदृढ़ व समृद्ध बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक है। जब तक देश में पंचायती राज प्रणाली को सक्षम नहीं बनाया जाता है तब तक देश के असंख्य निर्धन परिवारों तक विकास का वास्तविक लाभ नहीं पहुँचाया जा सकता है।पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ही राष्ट्र में व्याप्त आर्थिक असामानता को दूर किया जा सकता है एवं तभी हम अपनी सामाजिक न्याय की अवधारणा को साकार रूप दे सकते हैं। यदि हम अतीत पर अपनी दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि पंचायती राज प्रणाली हमारी सांस्कृतिक विरासत का ही एक अंग है। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या गाँवों में रहती है। इसलिए ग्रामीण स्तर पर स्वशासन का विशेष महत्व है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तब है जब शासन के सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो। पंचायती राज मुख्यत: दो प्रकार से इसे सुनिश्चित करती है पहला, यह व्यवस्था शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाती है। दूसरा, स्थानीय लोगों की भागीदारी को सक्षम बनती है साथ ही लोगों को शासन की कला का ज्ञान होता है। किसी भी लोकतान्त्रिक देश में स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे स्थानीय समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उसके समाधान को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसे सुनिश्चित करती है।

वर्तमान परिदृश्य

राज्य चुनाव आयोग ने देश के अधिकांश हिस्सों में व्यवस्थित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है। लेकिन सांवैधानिक रूप से अनिवार्य संस्थान जैसे राज्य वित्त आयोग और जिला नियोजन समितियों ने उतना बेहतर प्रदर्शन

नहीं किया है हालांकि केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलांगाना, तमिलनाडु और हरियाणा राज्य स्थाई पंचायतों में वित्तीय रूप से काफी मजबूत रहे। वर्ष 2015 और 2016 के लिए 'पंचायती राज मंत्रालय' द्वारा राजकोषीय विकास सूचकांक प्रकाशित किया गया इसके अनुसार केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और कर्नाटक इस सूची में सबसे उच्च स्थान पर हैं, जबकि जम्मू-कश्मीर, उत्तरप्रदेश, पंजाब और झारखण्ड की स्थिति कमजोर रही है। इसके साथ ही शासन के विकेंद्रीकरण के जिस उद्देश्य से पंचायती राज लाया गया था उस सूची में भी केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक सबसे ऊपर हैं जबकि पंजाब, जम्मू-कश्मीर और झारखण्ड राज्य की स्थिति इस क्षेत्र में भी कमजोर है।

पंचायती राज की उपलब्धियां

यदि हम पंचायती राज की उपलब्धियों को देखें तो इसके हमें काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। शासन कि जिस विकेंद्रीकरण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज लाया गया है वह बहुत हद तक सफल हुआ है। पंचायती राज के शुरूआती दौर में मध्यप्रदेश राज्य ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन बाद में यह पीछे हो गया इसके साथ ही सिक्किम और हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था आने के पश्चात न तो कोई बहुत बदलाव किया और न ही गिरावट दर्ज की।

इन सब के बावजूद भी पंचायती राज कानून ने यह सुनिश्चित कर दिया कि भारत में लिंग और सामाजिक विषमताओं को तोड़ते हुए लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इस तरह पंचायती राज ने लोकतंत्र के आधार को और मजबूती प्रदान की ज्ञातव्य है। कि देश में लगभग तीस लाख निर्वाचित प्रतिनिधि पंचायती राज संस्थानों में प्रत्येक 5 वर्ष में चुने जाते हैं और इनमें से लगभग 1.2 मिलियन महिलाएँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं।

वर्तमान में लगभग 250000 पंचायतों राज संस्थान (पीआरआई) और स्थानीय निकाय हैं। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे वंचित समूहों के निर्वाचन के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन यह सरकार का पहला ऐसा स्तर है जहाँ पर इन वंचित समूहों के साथ महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। रिसर्च में पाया गया है कि महिलाओं की भागीदारी से गाँवों के कई प्राथमिक मुद्दों की समस्याओं को दूर किया जा सका है, जैसे पानी की व्यवस्था साथ ही जो अनुसूचित जाति हमेशा गाँव के बाहर बसाई जाती रही हैं जिस वजह से वह गाँव के मुख्य हिस्से से कटे रहते थे और उनकी गाँव में कोई सक्रियता नहीं थी अब पंचायती राज आने से इस खाई को भी पाटने में काफी मदद मिली है, और अब उन्हें गांव का हिस्सा माना जाने लगा है।

चुनौतियाँ

यदि हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन का बारीकी से परीक्षण करें तो पंचायती राज संस्थान की सफलताएँ काफी चौकानें वाली रहीं हैं पर इसमें आज भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। क्योंकि जिस लक्ष्य के लिए पंचायती राज लाया गया था वह आज भी उतना हमें प्राप्त नहीं हो सका है पंचायती राज संस्थान की पहली चुनौती है कि, जो कार्य 73वें संविधान संशोधन के द्वारा गाँवों को हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था वह आज तक ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किए गए। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी आदि भी शामिल थे जब तक इन विषयों को राज्य अपने पास रखे रहेगा तब तक विकेंद्रीकरण के मूल अर्थ को सार्थक नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि गाँवों के विकास का मुद्दा गाँव के प्रतिनिधि ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके लिए उचित हल भी निकाल सकेंगे पर पिछले 25 वर्षों से राज्यों ने बहुत ही कम शक्तियाँ ग्राम पंचायतों को दी हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि पानी की समस्या को स्थानीय लोग बेहतर समझते हैं बजाय राज्य कर्मचारियों के। अतः राज्य जल बोर्ड को यदि हम स्थानीय पंचायतों को दे दें तो पानी की समस्या को उचित तरीके से हल किया जा सकता है।

दूसरी समस्या स्थानीय शासन में वित्त का अभाव की है। 73वें संविधान संशोधन में कहा गया कि स्थानीय सरकारें अपने अनुसार अपने राजस्व के लिए करों का अधिरोपण कर सकती हैं पर यह अधिकार भी उन्हें नहीं दिया गया अतः स्थानीय स्तर पर कर लगाने की शक्ति आज भी राज्य की विधायिका के पास है। राज्य सरकार द्वारा गाँवों के विकास के लिए वित्त आयोग अक्सर अधिक धन प्रदान करने की वकालत करता रहता है पर इसे राज्य सरकार द्वारा नहीं माना जाता है क्योंकि 73वें सांवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व को साझा करने की सिफारिश देता है। पर यह सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप पंचायती राज संस्थान बजट के लिए इतने मजबूर हैं कि वे अपने मूलभूत दायित्वों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। वे अपने लिए किसी भी परियोजनाओं को नहीं ला सकते क्योंकि उनके पास निधि का अभाव है। अतः इसका दीर्घकालिक समाधान वास्तविक, वित्तीय संघवाद को बढ़ावा देने में ही है।

समाधान

पंचायती राज व्यवस्था ने स्थानीय प्रयासों के माध्यम से लगभग सभी राज्यों में अच्छे विकास तंत्र के प्रारूप को जन्म दिया है। यदि हम ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के अंतर्गत 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015 से 2020 तक पांच साल की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थानों को आंवटित चार लाख करोड़ एवं मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत दो लाख करोड़ रुपए की अनुशंसाओं का सही ढंग से पालन करें तो पंचायती राज संस्थानों में धन की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस प्रकार पंचायतों को यदि उचित बजट प्रदान किया जाए तो पंचायती राज काफी मजबूत होगा तथा यह इस प्रकार लोकतंत्र को भी मजबूती प्रदान करेगा।

दूसरा कार्य, पंचायतों के लिए निर्धारित किए गए विषयों को राज्य सरकार धीरे-धीरे उन्हें हस्तांतरित कर दे ताकि शासन पद्धति में पंचायतों की भूमिका निर्णायक हो सके। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों को पंचायतों के साथ जोड़कर हम महिलाओं और गरीबों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। केरल राज्य के मॉडल को हम आदर्श मानकर उसका अनुकरण भी कर सकते हैं।

निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थान भारत के लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं अतः पंचायती राज संस्थानों को हमें ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्रदान करनी चाहिए ताकि पंचायती राज संस्थानों को ठीक ढंग से चलानें में मदद की जा सके क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि, देश की समृद्धि का रास्ता गाँवों से होकर गुजरता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

भारतीय संविधान-ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना।

संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां।

■

7. अतार्किकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति

सन्दर्भ

किसी भी समाज के लिए तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक स्वभाव में कमी एक गहरी चिंता का विषय है। हमारे समाज में रुढ़िवादिता और धार्मिक कट्टरवादिता की लगातार कई चिंताजनक घटनाएं सामने आयी हैं, जो एक तर्कसंगतता वैज्ञानिक मनोभाव और मानवता से संवर्धित राष्ट्र की दृष्टि से क्षरण का प्रतीक है। हाल ही में कुछ घटनाओं और राजनीतिक वक्तव्यों की वजह से समाज में अतार्किकता का एक नया युग शुरू हो गया है।

पृष्ठभूमि

समाज की बुनियादी चुनौतियों को हल करने के लिए विज्ञान अपरिहार्य है। लोगों में वैज्ञानिक सोच की कमी की वजह से समाज में भूख, गरीबी तथा निरक्षरता जैसी समाजिक समस्याओं का रूप विकराल हो जाता है। नागरिकों के बीच वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देने से देश की बेहतर तरक्की हो सकती है। विज्ञान एवं समाज के बीच बहुमुखी व सहजीवी संबंध समाज के विकास को बढ़ाता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि विज्ञान की ताकत से देश की बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि "हमें 1958 के वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव व अन्य नीतिगत घोषणाओं को आकार देना होगा और इसी वैज्ञानिक नीति द्वारा देश अपनी बुनियादी एवं अनुप्रयोगी विज्ञान की जरूरतों को पूरा करने, वैज्ञानिक अनुसंधान व विकास उन्नत बनाने एवं प्रभावी भौतिकीय अध्यापन संबंधी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति कर सकता है।" लेकिन आज भी हमारे समाज के बहुत से लोग संविधान के अनुच्छेद 51-क की भावना से जीवनयापन नहीं कर रहे हैं। ज्ञात हो की संविधान के अनुच्छेद 51-क में कहा गया है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना, मानवता को बढ़ावा देना व ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना को बढ़ाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

वर्तमान में हमारे विकास और समृद्धि के लिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति को अपनाना एक आवश्यक अंग बन गया है। पर इसके विपरीत हम शायद एक अतार्किक और अवैज्ञानिक प्रवृत्ति का अनुकरण करते नजर आ रहे हैं। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक अतार्किक युग में प्रवेश की ओर अग्रसर हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे देश में बड़े नेता जो एक बहुत बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं कई बार अनेको अतार्किक वक्तव्य देते रहते हैं और इस तरह से देखा जाए तो वे समाज में अतार्किकता को ही प्रचलित कर रहे होते हैं। हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने एक वक्तव्य दिया कि महाभारत के समय में भी इंटरनेट होता था। यदि देखा जाये तो यह वक्तव्य बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है और तार्किकता से परे तथा हास्यास्पद है। इसके अलावा भी कई वक्तव्य दिए जाते हैं जैसे कि भगवान गणेश द्वारा पहली शल्य चिकित्सा की गई एवं स्टीफन हाकिंस ने इस बात को माना था कि हमारे वेदों में आइंसटीन की थ्योरी ($E=MC^2$) से भी बेहतर थ्योरी थी। इस प्रकार के वक्तव्य समय-समय दिए जाते रहे हैं।

पर देखा जाए तो इस प्रकार के कथनों से हमारे देश के प्रति दूसरे देशों का नजरिया बदल रहा है। साथ ही हमने आजादी के पश्चात जो भी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ और खोजें प्राप्त की हैं, इस तरह के वक्तव्य उनको भी धूमिल और उनके महत्व को कम करते हैं। इस प्रकार के कथनों को हम यह कहकर नकार नहीं सकते कि ये हमारे साधुओं और बाबाओं द्वारा कहे गए हैं।

अतार्किकता फैलने के कारण

अक्सर देखा गया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियाँ जानबूझकर तार्किकता को दबाते हैं और अतार्किकता को उत्साहित करते हैं क्योंकि इससे उनका फायदा होता है। इसके साथ ही हमारा सामाजिक ताना-बाना भी इस प्रकार व्यवस्थित है कि हमें चाहे जितनी भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए तो भी हमारा मन अतार्किक बातों को सही मान लेता है। आज भी हमारे समाज में ऐसा एक बहुत बड़ा तबका है जो साधू-महात्माओं को अपना हाथ दिखाता है। साथ ही एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो ग्रह और राशि के फेर में ही पड़ा रहता है, जबकि ये तबका अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त किया हुआ होता है। इसका एक ही मतलब है कि आज भी हमारे देश में अंधविश्वास बना हुआ है।

जब लोगों में तार्किकता आएगी; वैज्ञानिक सोच आएगी तो लोग अपने प्रतिनिधियों से तर्क करेंगे और प्रश्न पूछने लगेंगे और उनके वक्तव्यों का व्यावहारिक प्रमाण मांगेगे। यदि वैज्ञानिक सोच नहीं है तो नेता लोग चाहे कोई भी कथन या वक्तव्य दें, चाहे वह अतार्किक ही क्यों न हो जो उनके अनुगामी हैं वे उस वक्तव्य को सही मान लेंगे।

यहाँ तक कि लोगों में वैज्ञानिक सोच आ जाएगी तो असमानता क्यों है? गरीबी क्यों है? क्यों कुछ समूह के साथ अत्यधिक भेदभाव किया जाता है? धर्म, लिंग आदि के कारण भेदभाव क्यों बढ़ता जा रहा है, इत्यादि बहुत से प्रश्न लोग सत्ताधारी नेताओं से पूंछने लगेंगे। अतः इन्हीं सब वजहों से हमारे नेताओं को डर लगता है कि कहीं जनता ये प्रश्न न करने लगे।

अक्सर देखा जाता है कि जो भी तानाशाही शासन व्यवस्थाएँ हैं, इन व्यवस्थाओं में उन लोगों को कभी पसंद नहीं किया जाता जो वैज्ञानिक सोच और साथ स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहित करते हैं। इस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं को वे वैज्ञानिक ही पसंद आते हैं जो उनके कहे अनुसार सेटेलाइट को लाँच करें, परमाणु हथियारों का विकास करें।

हमारे संविधान निर्माता इस बात से भलि-भांति परिचित थे कि हमारे समाज में अतार्किकता और अवैज्ञानिक सोच आजादी के बाद भी विद्यमान है। इसलिए उन्होंने संविधान में समाजवाद, समता, अधिकार के अलावा वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने के लिए भी उपबंध किया। इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता शब्द को बाद में जोड़ा गया इसका प्रयोजन यही था कि हमारा समाज वैज्ञानिक प्रवृत्ति को धारण करते हुए तार्किक बने, जबकि वर्तमान समय को देखते हुए लगता है कि हमारे नेता संविधान की इस भावना को बदलना चाहते हैं। इसलिए वे अतार्किकता को प्रोत्साहित करते हैं और वैज्ञानिक सोच को विकसित होने से रोकते हैं। अगर देखा जाए तो अतार्किकता की शुरूआत हमारे बचपन से ही हो जाती है। उच्चवर्गीय बच्चों को हमेशा सदियों पुरानी जाति व्यवस्था के बारे में सिखाया जाता है। इस तरह उसके अंदर लैंगिक, धार्मिक आदि प्रवृत्तियों के आधार पर भेदभाव बहुत गहरे में बैठा दिया जाता है। अक्सर बच्चा परिवार में देखता है कि घर का सारा काम माँ देखती है और पिता घर का काम नहीं करता है तो इस प्रकार उसमें रूढ़िवादिता पैदा हो रही है कि हम पुरूष हैं हमें घर का काम नहीं करना होता है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

यह एक अजीब संकट प्रतीत होता है कि एक तरफ कुछ देश गॉड पार्टिकल के बारे में प्रयोग कर रहे हैं वहीं हमारे देश के प्रतिनिधि यह बताने में व्यस्त हैं, कि पुराने समय में हमारे देश में क्या था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने ऐतिहासिक विरासत और उपलब्धि को नहीं बताना चाहिए जरूर बताना चाहिए पर उस पर ठहरना नहीं चाहिए यह बात निश्चित है कि हमारा देश बहुत समृद्धशाली रहा है और हमारे देश की अच्छी चीजों को हमें जरूर आगे लाना होगा।

ज्ञातव्य हो कि भारत में जब अंग्रेज शासन करने के उद्देश्य से आए तो वे अक्सर यह दुहाई देते थे कि हम आपको सभ्य और शिक्षित करने के लिए आए हैं तभी हमारे कुछ राष्ट्रवादियों द्वारा कहा गया कि ऐसा नहीं है हमारे देश का इतिहास अत्यधिक सुनहरा रहा है और यह बात सच भी है। लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को लेकर हीन भावना की समाज के विकास के लिए बाधक होती है, उसी प्रकार अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का अतार्किक गुणगान एवं महिमामण्डन भी विकास के लिए घातक साबित हो सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ, भारत की विविधता।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

मृदा प्रदूषण का बढ़ता संकट

प्र. हाल ही में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने कहा है कि मृदा प्रदूषण के कारण भारत, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों में कई स्थानों पर मानव के लिए मां का दूध शुद्ध नहीं है। इस कथन के आलोक में मृदा प्रदूषण की समस्या का परीक्षण करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- कारण
- प्रभाव
- नियंत्रण के उपाय
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने हाल ही में कहा है कि मृदा प्रदूषण के कारण भारत, यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों में कई स्थानों पर मानव के लिए मां का दूध शुद्ध नहीं है।

पृष्ठभूमि

- मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में से किसी का भी अवांछनीय परिवर्तन जो पर्यावरण, जीवों और पौधों के लिए हानिकारक हो उसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है।
- यह मानव जीवन, फसल उत्पादन, मिट्टी की गुणवत्ता और उपयोगिता पर विपरीत प्रभाव डालता है।

कारण

- बड़े पैमाने पर हुए औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने नगरों में बढ़ती जनसंख्या एवं निकलने वाले द्रव एवं ठोस अपशिष्ट पदार्थ मृदा को प्रदूषित कर रहे हैं।
- कृषि के लिए कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि होने से मिट्टी की विषाक्तता बढ़ रही है।

भूमि प्रदूषण के प्रभाव

- भूमि प्रदूषण के कारण मिट्टी की उत्पादकता कम होने के साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
- पूरी दुनिया के साथ ही भारत भी इस समस्या से गंभीर रूप से संक्रमित है। उदाहरणस्वरूप ओडिशा के सुकिंडा नामक जगह में भूमि प्रदूषण के कारण शहर के लोगों की जान खतरें में पड़ गई है।

भूमि प्रदूषण को नियंत्रण के उपाय

- भूमि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कड़े नियमों का प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है।
- दैनिक जीवन में रसायनों का प्रयोग सीमित करने, घरेलू कचरे तथा औद्योगिकी अपशिष्ट के उचित निपटान के साथ ही लोगों को जागरूक करना होगा।

निष्कर्ष

- भूमि पर्यावरण की आधारभूत इकाई है। बढ़ती मानव की आवश्यकताओं ने वायु, जल के साथ मिट्टी को भी काफी हद तक प्रदूषित कर दिया है। बढ़ते कीटनाशकों के प्रयोग से कैंसर सहित तमाम बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है।
- अतः इस समस्या के निदान के लिए वैश्विक संस्थाओं के साथ ही भारत सरकार एवं प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार होना होगा। ■

लेखापरीक्षण का सामाजिक उत्तरदायित्व

प्र. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक लेखापरीक्षा को मजबूत आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए आदेशों की एक शृंखला पारित की है। सामाजिक लेखापरीक्षण का उल्लेख करते हुए इसके लाभ व इनके विकास में आने वाली चुनौतियों को बताएं।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- सामाजिक लेखापरीक्षण क्या है?
- पृष्ठभूमि
- उद्देश्य
- सामाजिक लेखापरीक्षण के लाभ
- सामाजिक लेखापरीक्षण की सीमायें
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सामाजिक लेखापरीक्षा को मजबूत आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए आदेशों की एक शृंखला पारित की है।

- मनरेगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वैधानिक आवश्यकताओं का हवाला देते हुए अदालत ने आदेश दिया है कि सामाजिक लेखापरीक्षा के तहत राज्यों में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों का त्वरित निवारण किया जाये।
- राजस्थान में जनसुनवाई अधिकार के तहत मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को कानूनी रूप से प्रश्न पूछने, शिकायत दर्ज कराने और सुधारात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बनने की शक्ति दी जाती है।

सामाजिक लेखापरीक्षण क्या है?

- सामाजिक लेखापरीक्षण किसी भी कार्यक्रम अथवा क्रिया जिसका संबंध प्रत्यक्ष अथवा परेक्ष रूप से समाज से होता है, के सामाजिक निष्पादन के मूल्यांकन से संबंधित प्रक्रिया है।
- दूसरे रूप में कहे तो सामाजिक लेखापरीक्षण योजनाओं के लाभान्वित समुदायों या लोगों द्वारा योजनाओं के धरातलीय कार्यान्वयन का मूल्यांकन करता है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1993 के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार सामाजिक लेखापरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि सामाजिक लेखापरीक्षण शब्द का पहली बार प्रयोग 1950 के दशक में हुआ।

सामाजिक लेखापरीक्षण के उद्देश्य

- सामाजिक लेखापरीक्षण का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भौतिक व वित्तीय संसाधनों तथा स्थानीय विकास के लिए आवश्यक संसाधनों के बीच का अंतर पता करना है।
- सामाजिक लेखापरीक्षण का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोक लगाना व संसाधनों का सही लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित करना है।

सामाजिक लेखापरीक्षण के लाभ

- सामाजिक लेखापरीक्षण से लोगों की प्रशासन में भागीदारी बढ़ती है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मजबूत होती है।
- यह समुदायों के लिए उपयुक्त नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने तथा उनमें सुधार करने में प्रशासन की सहायता करता है।

सामाजिक लेखापरीक्षण की सीमाएँ

- सामाजिक लेखापरीक्षण स्थानीय प्रकृति का होता है तथा इसमें ऑडिट के कई पहलुओं की अनदेखी की जाती है।
- आंकड़ों की पर्याप्त अनुपलब्धता भी सामाजिक लेखापरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा है।
- प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव भी सामाजिक लेखापरीक्षण की इस प्रक्रिया को गतिहीन कर देता है।

आगे की राह

- सामाजिक लेखापरीक्षण की प्रणाली को एक संस्थागत ढांचे के रूप में विकसित करने के लिए सहकारी समर्थन की आवश्यकता है।
- सामाजिक लेखापरीक्षण के लिए नागरिक समूहों को भी आगे आना होगा जिससे कि स्थानीय स्तर पर उसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।
- सामाजिक लेखापरीक्षण अधिकारियों को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाये जिससे वे अपने कार्य को स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें। ■

समेकित कृषि प्रणालीः किसानों की वर्तमान आवश्यकता

प्र. हाल ही में सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस कथन के संदर्भ में समेकित कृषि प्रणाली किस तरह से किसानों की आय 2022 तक दोगुना करने में सहायक हो सकती है? समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है समेकित कृषि प्रणाली?
- समेकित कृषि प्रणाली के फायदे
- सरकारी पहल
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 33 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों की आय दोगुना करने के लिए इंटरनेशनल लिव स्टाफ रिसर्च इंस्टीट्यूट के साउथ एशिया के प्रतिनिधि डॉ. हबीबुर्रहमान और फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गेनाइजेशन ऑफ युनाइटेड नेशंस के कार्यक्रम विशेषज्ञ कोडा रेड्डी ने किसानों से समेकित कृषि प्रणाली अपनाने की बात कही है।

क्या है समेकित कृषि प्रणाली

- समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन, मवेशीपालन, फल-सब्जी उत्पादन, मछली पालन और वानिकी का इस प्रकार समायोजन किया जाता है जिससे कि वे एक-दूसरे के पूरक बन सके।
- इस प्रणाली के मुख्य तीन भाग हैं- 1. मत्स्य आधारित समान्वित कृषि प्रणाली, 2. फसल आधारित समेकित कृषि प्रणाली, 3. पशुधन आधारित समेकित कृषि प्रणाली।

समेकित कृषि प्रणाली के फायदे

- उत्पादकता में सुधार, आय में इजाफा, गरीबी उन्मूलन, किसान आत्महत्या में कमी, कृषि के साथ रोजगार के अवसर, भोजन और पौष्टिक आहार की पूर्ति तथा बाजार पर निर्भरता घटाना, जोखिमों में कमी, पूरे साल आमदनी के लिये पारिवारिक खेती मॉडल, जनजातीय इलाकों में उत्पादकता और आजीविका में सुधार, किसानों की भागीदारी पर आधारित सुधार और शोधन आदि की चर्चा करें।

सरकारी पहल

- मत्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (10,000 करोड़ रु.) की स्थापना की गई है।
- समेकित बागवनी मिशन की शुरूआत वर्ष 2014-15 में की गई साथ ही 22,000 ग्रामीण हाटों को विकसित किया जा रहा है।

- देशी गायों तथा उनकी नस्लों का संरक्षण करने के उद्देश्य से सरकार ने दिसंबर, 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरूआत की।

चुनौतियाँ

- खेती की लागत का लगतार बढ़ना, पोषकता का मान बहुत कम होना, टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सुविधाएँ दूरदराज के क्षेत्रों में कमी, बजट का कम आवण्टन, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, मत्स्यिकी का क्षेत्र अभी भी बड़े पैमाने पर असंगठित होना।

आगे की राह

- फसल, बागवानी, पशुधन और मत्स्य पालन कार्यक्रमों के समन्वय पर आधारित राष्ट्रीय समेकित कृषि प्रणाली शुरू की जानी चाहिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की पहुँच आम किसानों तक होनी चाहिए, फसल और चारे वाली फसलों की अदला-बदली करके बुआई, बुनियादी सुविधाओं की स्थापना, किसानों को शिक्षण, प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता, राजनैतिक इच्छा शक्ति को मजबूती तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश आदि को दर्शाएँ। ■

ब्रेक्जिट के बाद भारत-ब्रिटेन संबंध

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री 'टेरीजा मे' को भरोसा दिलाया कि यूरोपीय संघ को छोड़ने के बाद भी ब्रिटेन का महत्व भारत के लिए कम नहीं होगा। इस कथन के संदर्भ में भारत-ब्रिटेन संबंधों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- ब्रेक्जिट क्या है?
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- भारत-ब्रिटेन संबंधों की आवश्यकता
- चिंताएँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में ब्रिटेन में संपन्न राष्ट्रमंडल देशों की शिखर बैठक में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री 'टेरीजा मे' को भरोसा दिलाया कि यूरोपीय संघ को छोड़ने के बावजूद ब्रिटेन का महत्व भारत की नजरों में कम नहीं होगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक बाजार तक पहँचने के लिये लंदन शहर भारत के लिये काफी महत्वपूर्ण है और बना रहेगा।

ब्रेक्जिट क्या है?

- ब्रिटने ने 23 जून 2016 को 28 देशों के समूह यूरोपीय संघ (ईयू) से बाहर निकलने का फैसला किया ब्रिटेन के इस फैसले को ब्रेक्जिट के नाम से जाना जाता है।
- ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से स्वयं को अलग करने के लिए 23 जून 2016 को एक जनमत संग्रह कराया जिसमें 51.89 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से बाहर होने के पक्ष में वोट दिए जबकि 48.11 प्रतिशत मतदाताओं ने यूरोपीय संघ में बने रहने के पक्ष में वोट दिए।

ब्रेक्जिट के प्रभाव

- ब्रिटिश जीडीपी को 1 से 3 प्रतिशत का नुकसान हो सकता है।
- ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के बजट के लिए 9 अरब डॉलर नहीं देने होंगे।

पृष्ठभूमि

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने का फैसला किया।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 से 14 नवंबर 2015 के दौरान यू.के. यात्रा से सबसे पुराने दो लोकतांत्रिक देशों के बीच संबंधों को एक नई ऊँचाई मिली।

वर्तमान परिदृश्य

- हाल ही में संपन्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दी है।
- भारत और ब्रिटेन ने 18 अप्रैल 2016 को 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए इसमें तकनीक, व्यापार एवं निवेश जैसे विषय शामिल हैं।

भारत-ब्रिटेन संबंधों की आवश्यकता

- ब्रिटेन की कुल जीडीपी में प्रवासी भारतीयों का लगभग 6% योगदान है इसके बाद भी भारत-ब्रिटेन का व्यापार काफी कम है।
- चूंकि भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। अगले 10 वर्षों में लगभग 50 करोड़ युवाओं को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में ब्रिटेन अग्रणी देश है।

चिंताएँ

- ब्रिटेन, 2019 में जब तक ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है व्यापार समझौता नहीं कर सकता है, विद्यार्थियों से संबंधित वीजा की समस्या, लालफीताशाही का मौजूदा जाल, दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार का काफी कम होना है। आदि की चर्चा करें।

आगे की राह

- विद्यार्थियों तथा कुशल कामगारों को आसानी से एक-दूसरे देशों में पहुँच बनाने के लिए वीजा नियमों को आसान बनाना होगा।
- लालफीताशाही की परंपरा को बदलने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता है। ■

क्या बदलेगी रक्षा क्षेत्र की कार्यपद्धति?

प्र. हाल ही में प्रधानमंत्री की अगुवाई में केन्द्र सरकार ने रक्षा योजना समिति गठित करने की घोषणा की। इस समिति की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह वर्तमान रक्षा चुनौतियों को हल करने में किए हद तक सफल हो पाएगी?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण

- रक्षा योजना समिति के उपसमितियाँ एवं कार्य
- वर्तमान परिदृश्य
- आवश्यकता क्यों?
- रक्षा योजना की चुनौतियाँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केन्द्र सरकार ने रक्षा योजना समिति गठित करने की घोषणा की।
- यह समिति मुख्य रूप से देश की सैन्य और सुरक्षा रणनीति, क्षमता विकास योजनाओं और रक्षा उपकरण अधिग्रहण जैसे कार्यक्रमों की गति प्रदान करेगी।
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

रक्षा योजना समिति की उपसमितियाँ एवं उनके कार्य

- **नीति एवं रणनीति उप-समितिः** बाह्य सुरक्षा खतरों का आकलन करना, रक्षा एवं सुरक्षा प्राथमिकताएँ तय करना आदि।
- **योजना एवं क्षमता विकासः** उन मंत्रालयों तथा विभागों की पहचान करना जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर एक मंच पर लाया जा सकता है।
- **रक्षा कूटनीति उप-समितिः** विदेश नीति की जरूरतों का मूल्यांकन करके रक्षा रणनीति बनाना।
- **रक्षा विनिर्माण उप समितिः** अनुसंधान और विकास के लिए व्यापक नीति तैयार करना ताकि देश की रक्षा आवश्यकताओं का बारीकी से विश्लेषण किया जा सके।

वर्तमान परिदृश्य

- भारत की राष्ट्रीय नीति-निर्माण में परंपरागत रूप में केन्द्रीय रणनीतिक योजना की कमी रही है जैसे-संगठित प्रक्रिया, दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करके असैन्य और सैन्य संस्थानों में खरीद और पूर्णता के प्रयास आदि।
- उल्लेखनीय है कि कारगिल युद्ध के प्रारंभिक चरणों में भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों और भारतीय वायुसेना के बीच समन्वय की कमी के कारण एक चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
- भारतीय सेना 1992-97 में केवल 5% रक्षा कवच ही योजनाबद्ध रूप से प्राप्त कर पाई थी और 1997-2002 से इसमें केवल 10 प्रतिशत ही इजाफा हो पाया था।

आवश्यकता क्यों?

- लोकसभा में पेश संसद की रक्षा मामलों की स्थाई समिति की रिपोर्ट में सेना के आधुनिकीकरण में पैसे की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है।
- पाकिस्तान एवं चीन की तरफ से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए रक्षा क्षेत्र में एक ठोस रणनीति के लिए इस तरह की समिति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

रक्षा योजना की चुनौतियाँ

- केन्द्र सरकार की रक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक एवं कारगार रणनीति का अभाव रहा है।
- रक्षा क्षेत्र में आवश्यक पूंजी की कमी को लेकर पहले भी प्रश्न खड़े किए गए हैं।
- समितियों के द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार द्वारा सही समय पर अमल नहीं किया जाना भी एक चुनौती है।
- रक्षा योजना के सामने सैन्य प्रशिक्षण से लेकर, आर्थिक, खुफिया तंत्र और शैक्षिक विकास का पर्याप्त न होना भी बड़ी चुनौती है।
- सैन्य बलों, नागरिक समाज और सरकार के बीच बेहतर समन्वय का अभाव भी एक चुनौती है।
- रक्षा योजना की मौजूदा प्रणाली में पर्याप्त संसाधनों से कम का प्रावधान, जनशक्ति संचालित सैन्य आधुनिकीकरण का पीछा करते हुए नई तकनीकी की प्रगति पर कम ध्यान देना आदि प्रमुख चुनौतियाँ है।

निष्कर्ष

- केन्द्र सरकार ने रक्षा योजना समिति गठित करने की घोषणा करके रक्षा क्षेत्र में एक सराहनीय कार्य किया है। इस समिति के माध्यम से सरकार और सैन्य बलों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा जिससे कि सैन्य क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की कमियों को दूर किया जा सकता है चाहे वह मूलभूत समस्या हो या फिर रक्षा सामग्री। समिति एक बेहतर कार्य के जरिए भारतीय सेना को नई पहचान दे सकती है जिससे कि सैन्य बल अपनी एवं अपने देश की सुरक्षा को और सहीं ढंग से सुनिश्चित कर सकेंगे। ■

पंचायती राज के 25 वर्षः एक अवलोकन

प्र. भारत में पंचायती राज व्यवस्था की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए वर्तमान में पंचायती राज संस्थानों की चुनौतियों और उनके समाधानों का विश्लेषण करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- पंचायती राज की आवश्यकता क्यों
- वर्तमान परिदृश्य
- पंचायती राज की उपलब्धियाँ
- चुनौतियाँ
- समाधान
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया इस दिन प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश में पंचायती राज की उपलब्धियों पर व्याख्यान दिया।

पृष्ठभूमि

- बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय स्वरूप वाली पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 को लागू किया गया। इसके बाद वर्ष 2010 से ही पंचायती राज दिवस मनाने की शुरूआत हुई।

पंचायती राज की आवश्यकता क्यों

- पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्र में व्याप्त आर्थिक असामानता को दूर किया जा सकता है।

वर्तमान परिदृश्य

- वर्ष 2015-16 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राजकोषीय विकास सूचकांक प्रकाशित किया गया इसमें केरल और तमिलनाडु राज्य शीर्ष स्थान पर रहे हैं। जबकि जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश का स्थान निचले पायदान पर रहा है।

उपलब्धियाँ

- पंचायती राज से शासन की विकेंद्रीकरण प्रणाली को बढ़ावा दिया गया।
- महिलाओं का शासन प्रणाली में समावेश हुआ।
- लैंगिक और जातिगत असमानता को भी काफी हद तक दूर किया जा सका।

चुनौतियाँ

- पंचायती राज संस्थानों में प्रमुख चुनौती बजट में कमी और इसके साथ राज्य द्वारा उनको स्थानीय कार्यों का हस्तांतरण न किया जाना है।

समाधान

- वित्त के वितरण से संबंधित 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।
- राज्य द्वारा कार्यों का विभाजन कर कुछ महत्वपूर्ण स्थानीय कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए।

निष्कर्ष

- गाँवों के विकास के द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है अत: गाँवों का विकास का सीधा माध्यम पंचायती राज को मजबूत बनाने से है।■

अतार्किकता और वैज्ञानिक प्रवृत्ति

प्र. बढ़ती हुई अतार्किकता समाज को पतन की ओर ले जाती है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- संदर्भ
- पृष्ठभूमि
- क्या है अतार्किकता?
- अतार्किकता के प्रभाव
- आगे की राह

संदर्भ

- आज हमारे समाज में तर्कसंगत सोच और वैज्ञानिक स्वभाव की कमी बढ़ रही है इसको हाल ही की कुछ घटनाओं और राजनीतिक वक्तव्यों के द्वारा और प्रोत्साहित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- किसी भी समाज के विकास के लिए वैज्ञानिक सोच का होना अतिआवश्यक है इसलिए हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 (क) में कहा गया है कि हमारा कर्तव्य होगा कि हम वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ाएँ।

क्या है अतार्किकता

- वर्तमान समय में हमारा समाज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है और यह युग अतार्किक और अवैज्ञानिक प्रवृत्ति को धारण करता हुआ दिख रहा है। वर्तमान में कई प्रकार के वक्तव्य हमारे राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा अक्सर दिए जा रहे जैसे महाभारत काल में इंटरनेट होता था, पहली शल्य चिकित्सा गणेश द्वारा की गई थी आदि इस प्रकार के बहुत से अतार्किक वक्तव्य दिए जाते हैं।

अतार्किकता के प्रभाव

- अक्सर राजनीतिक पार्टियाँ जानबूझकर तार्किकता को दबाते हुए अतार्किकता को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इससे समाज में वैज्ञानिक सोच न विकसित हो पाए और यदि वैज्ञानिक सोच विकसित हो जाएगी तो लोग राजनेताओं से असमानता, गरीबी और भेदभाव के फैलने को कारणों पर प्रश्न करना शुरू कर देंगे।

आगे की राह

- हमारे समाज में तार्किकता आयेगी तो समाज विकसित होगा। तार्किक होने के साथ-साथ अपनी पुरानी चीजों को एकदम से नकारना नहीं है बल्कि उनमें से जो अच्छा है उसे साथ में लेकर चलना है जो आज की प्रासंगिक है। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. लिव इन संबंध पर सर्वोच्च न्यायालय का मत

कानून और विधेयक

06 मई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वयस्क जोड़े को शादी के बिना एकसाथ रहने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 'लिव इन'संबंधों को विधायिका ने भी मान्यता प्रदान कर दी है। इन संबंधों को सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा रोकथाम कानून 2005 के प्रावधानों के तहत मान्यता मिली है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 20 साल की तुषारा से कहा कि वह चाहे तो अपने पति के साथ रह सकती है और चाहे तो अपने परिवार के साथ। इसका फैसला वह स्वयं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ नंदकुमार की याचिका पर सुनवाई करते वक्त कीं जिसमें तुषारा के साथ उसकी शादी को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उसकी शादी की कानूनी उम्र नहीं हुई है।

ज्ञात हो कि बाल विवाह निषेध कानून के तहत 18 साल से पहले जबकि कोई लड़का 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाने वाले नंदकुमार 30 मई 2018 को 21 वर्ष के हो जायेंगे। केरल उच्च न्यायालय ने तुषारा को उसके पिता के संरक्षण में भेज दिया था और कहा था कि वह कानूनी रूप से नंद कुमार की पत्नी नहीं है। नंदकुमार और तुषारा से सम्बन्धित मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में न्यायधीश एके सिकरी और न्यायधीश अशोक भूषण की बेंच द्वारा की गई और फैसला भी सुनाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसी शादी शुरू से शून्य नहीं होती बल्कि शून्य घोषित कराई जा सकती है। न्यायालय ने कहा कि लड़का और लड़की दोनो हिंदू हैं और हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत शून्य विवाह नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता तथा अधिकार हैं उनके अधिकारों को कोई व्यक्ति विशेष, कोर्ट या संगठन छीन नहीं सकता है। ■

2. नीति आयोग और आईबीएम के मध्य समझौता

नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों में किसानों को वास्तविक समय सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने वाली परियोजना पर हस्ताक्षर किए।

उद्देश्य

- इसका उद्देश्य फसल उत्पादन और मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाने, कृषि इनपुट को नियंत्रित करने तथा समग्र रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना है ताकि किसानों को पहले से ही जानकारी देने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके।

परियोजना से संबंधित मुख्य तथ्य

- इस परियोजना का पहला चरण महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यों में 10 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए विकासशील मॉडल पर केंद्रित होगा।
- यह परियोजना जलवायु-जागरूक संज्ञानात्मक खेती तकनीकी को उपलब्ध कराएगी।
- यह परियोजना फसल निगरानी की प्रणाली, उन्नत एआई नवाचारों के आधार पर कीट और बीमारी के प्रकोप पर प्रारंभिक चेतावनी की भी पहचान करेगी।
- इसमें बेहतर कृषि प्रबंधन के माध्यम से फसल उपज और लागत बचत में सुधार के साथ आईटी और मोबाइल अनुप्रयोगों से मौसमी सलाह, मौसम पूर्वानुमान जानकारी से जुडी मॉनिटरिंग शामिल है।

नीति आयोग

नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।

नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, साथ ही साथ अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा। ■

3. स्वयं कार्यक्रम एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एमओओसी प्लेटफॉर्म 'स्वयं' का उपयोग करते हुए 1.5 मिलियन उच्च/शिक्षा फैकल्टी के ऑनलाइन पेशेवर विकास का बड़ा और अनूठा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पहले चरण में 75 अध्ययन-विषय विशेष राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र चिन्हित किये गये हैं। इन केन्द्रों से अध्ययन-विषय विशेष में नवीनतम विकास, उभरती प्रवृत्तियों, शैक्षणिक सुधार और संशोधित पाठ्यक्रम लागू करने के लिए तौर-तरीकों पर फोकस के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने को कहा गया है।

विभिन्न संस्थान जैसे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और प्रशिक्षण पर बने पंडित मदनमोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी), आईआईएससी, आईयूसीएए, आईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईटी, राज्य के विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानव संसाधन विकास केन्द्र (एचआरडीसी), राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीटीटीआर), आईआईआईटी और मुक्त विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र (एनआरसी) के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन संसाधन केन्द्रों में एनआरसी, समाज विज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग, कला, भाषा, शिक्षण, वाणिज्य, प्रबंधन, शिक्षा नियोजन और प्रशासन, लोक नीति, नेतृत्व और शासन संचालन, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा खगोल भौतिकी, निर्धारण और मूल्यांकन, अध्यापन कला और शोध विधि, नैनो साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे विभिन्न अध्ययन-विषय हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत विषय और वरिष्ठता को परे रखते हुए सेवारत सभी शिक्षकों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से अपने-अपने विषयों में हुये नवीनतम विकास से अवगत होने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र रिफ्रेश मॉड्यूल विकसित करेंगे, जिनमें प्रत्येक वर्ष के 15 जून तक निर्धारित विषयों की नवीनतम प्रवृत्तियां शामिल की जाएंगी। प्रत्येक वर्ष 01 अक्टूबर से सभी शिक्षकों को 'स्वयं' के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्रियां अपलोड करके उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी सफलता पर इसे जनवरी में दोहराया जाएगा। एनआरसी 31 दिसम्बर, 2018 तक प्रमाणित फैकल्टी की सूची प्रकाशित करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैरियर की प्रगति और समीक्षा के उद्देश्य से आदेश/नियम जारी करेगा। फैकल्टी को इस कार्यक्रम से लाभ होगा क्योंकि कार्यक्रम अत्यधिक लचीला है और अपने स्थान और समय के अनुसार पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र आईसीटी तथा स्वयं के ऑनलाइन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए बड़े पैमाने पर फैकल्टी के पेशेवर विकास का कार्य करेंगे। ■

4. भारत ने सुनामी तरंगों की भविष्यवाणी हेतु तकनीक विकसित की

भारत में जल्द ही विनाशकारी समुद्री तूफान 'सुनामी' के तट तक पहुंचने के समय के बारे में पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। इस पूर्वानुमान से जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी।

मॉडल से संबंधित मुख्य तथ्य

- भूविज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंर्फोमेशन सर्विसेज (आईएनसीओआईएस) ने इस संबंध में एक तकनीक विकसित किया है।
- इस मॉडल से यह पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा कि समुद्री पानी कितने समय बाद तट तक पहुंचेगा।
- यह देश की सुनामी त्वरित चेतावनी प्रणाली के तहत लेवल-3 का अलर्ट होगा।
- इस प्रणाली को वर्ष 2004 की घातक सुनामी के बाद शुरू किया गया था।
- लेवल-1 के तहत सुनामी की तीव्रता की जानकारी दी जाती है।
- लेवल- 2 में संभावित सुनामी और उसकी लहरों की ऊंचाई के बारे में जानकारी दी जाती है।

2004 की सुनामी

- हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को आई सूनामी लहर ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में भारी तबाही मचाई थी।
- हिंद महासागर में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप ने सूनामी लहर पैदा किया।
- भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया सहित कुछ और देशों में लाखों लोग मारे गए।
- लहरों ने थाइलैंड, मेडागास्कर, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, सेशेल्स, सोमालिया, तंजानिया, केन्या, बांग्लादेश तक भी असर डाला।
- इस भयानक प्राकृतिक आपदा में लगभग 2 लाख 30 हजार लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
- सबसे ज्यादा मार इंडोनेशिया, दक्षिण भारत और श्रीलंका पर पड़ी। सूनामी से 13 प्रभावित देशों में सात लाख तीस हजार लोग विस्थापित हुए।
- इस आपदा से निपटने और पुर्ननिर्माण के लिए सरकारी सहायता और निजी दान के रूप में करीब 13.6 अरब डॉलर खर्च किए गए।
- यह विश्व की सबसे भीषण सुनामियों में से एक थी।
- सुनामी के दौरान तट पर 30 मीटर तक की लहरें उठी थीं। ■

5. भारत मे सिंधु डॉल्फिन की पहली संगठित जनगणना शुरू की गई

हिाल ही में पंजाब सरकार ने डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के साथ मिलकर सिंधु नदी में पायी जाने वाली डॉल्फिन की जनगणना आरंभ की। यह विश्व की विलुप्तप्राय स्तनधारी प्रजाति है। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य इस प्रजाति का संरक्षण करना है। सिंधु नदी में पायी जाने वाली डॉल्फिन केवल भारत और पाकिस्तान के मध्य 185 किमी के क्षेत्र में पायी जाती है। यह डॉल्फिन तलवाडा और हरिके पोर्ट के मध्य भारत की ब्यास नदी में पायी जाती है। इस जनगणना के माध्यम से डॉल्फिन की सटीक जनसंख्या का पता लगाया जा सकेगा जिसके उपरांत संरक्षण का कार्यक्रम चलाया जायेगा।

यह भारत सरकार द्वारा की जाने वाली पहली संगठित डॉल्फिन जनगणना है। इस जनगणना को 5 वर्ष की अवधि में पूरा कर लिया जायेगा।

जनगणना शुरू होने से पहले बहुत कम डाल्फिन चिन्हित की गई थीं।

पंजाब सरकार ने वन्य एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग तथा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया इस कार्य को मिलकर पूरा करेंगे। इसके अन्तर्गत दो टीमें बनाकर डॉल्फिन की जनगणना की जायेगी।

सिंधु डॉल्फिन की प्रजातियां मुख्यत: भारत और पाकिस्तान में पायी जाती हैं। अनुमानत: इस प्रकार की डॉल्फिन की जनसंख्या 1800 के आस-पास है। भारत में इस प्रजाति की डॉल्फिन बहुत कम मात्रा में पायी जाती है। जो केवल ब्यास नदी पर पायी जाती है।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की डॉल्फिन सतलज नदी में भी पायीं जातीं थीं परन्तु सतलज में हुए प्रदूषण और शहरीकरण के कारण इस नदी की सभी डॉल्फिन विलुप्त हो गईं।

इंटरनेशल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक वर्ष 1944 से अब तक इस क्षेत्र में पायी जाने डॉल्फिन की जनसंख्या में 50 प्रतिशत की कमी आयी है। ■

6. विमान यात्रा के दौरान मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल की मंजूरी

दूरसंचार आयोग ने 01 मई 2018 को देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानों में मोबाइल फोन काल एवं इंटरनेट सेवाओं की अनुमति के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। दूरसंचार आयोग, दूरसंचार विभाग का फैसले करने वाला शीर्ष निकाय है। दूरसंचार संबंधी शिकायतों से निपटने के लिए दूरसंचार लोकपाल का पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित लोकपाल दूरसंचार नियामक ट्राई के अधीन आएगा और इसके लिए ट्राई कानून में संशोधन करना होगा।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों के अनुसार उड़ान के दौरान मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग विमान के 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद किया जा सकेगा। मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क के साथ तालमेल बिठाने के इरादे से ऐसा करना जरूरी होता है। इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए कंपनियों को अलग से लाइसेंस दिए जाएंगे। कंपनियों से एक रुपये की औपचारिक लाइसेंस फीस वसूली जाएगी। लेकिन इन्हें विमान यात्रियों से अंतर्राष्ट्रीय चलन के अनुसार शुल्क वसूलने की आजादी दी जाएगी।

ट्राई द्वारा दी गई अधिकांश सिफारिशों को आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अब विभाग इस मसौदे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करेगा और तीन महीने के भीतर इसे तैयार कर लिया जाएगा। जिसके बाद एयरलाइंस में कॉलिंग और इंटरनेट ब्राउजिंग की व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

दूरसंचार आयोग द्वारा दी गई अन्य मंजूरी

दूरसंचार आयोग ने वाई-फाई के विस्तार और ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार के लिए जगह-जगह पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट खोलने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इंटरनेट टेलीफोन के इस्तेमाल व ग्राहकों की शिकायतों के निपटान के लिए 'लोकपाल' का पद सृजित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। भारत का दूर संचार नेटवर्क एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में दूसरा सबसे और विश्वा का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। प्राधिकरण का उद्देश्य है एक ऐसा उचित और पारदर्शी परिवेश उपलब्ध कराना, जो समान अवसरों के लिए प्रोत्साहित करें। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

पृष्ठभूमि

मोबाइल कम्युनिकेशन सर्विस ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट की सुविधा से अब हवाई जहाज में मोबाइल से कॉल करना या डेटा का इस्तेमाल करना आसान हो गया है। इसके आने के बाद दुनिया की 30 प्रमुख एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों को विमान में कॉल और नेट की सुविधा देने लगी है। हवाई जहाज में मोबाइल फोन नेटवर्क एक पोर्टेबल टावर की मदद से चल सकता है। यह मशीन टेलिकॉम कंपनियों की मदद से एयरलाइंस कंपनियां लगा सकती हैं। ■

7. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश दोगुना करने को मंजूरी

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है। इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा। साथ ही इस योजना में निवेश सीमा को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएमवीवीवाई 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए है। इस योजना में निवेश की समय सीमा 4 मई-2017 से 3 मई-2018 थी। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। इस योजना के तहत दस साल तक आठ प्रतिशत सालाना रिटर्न की गारंटी के साथ पेंशन सुनिश्चित होती है। इसमें पेंशन मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर लेने का विकल्प है।

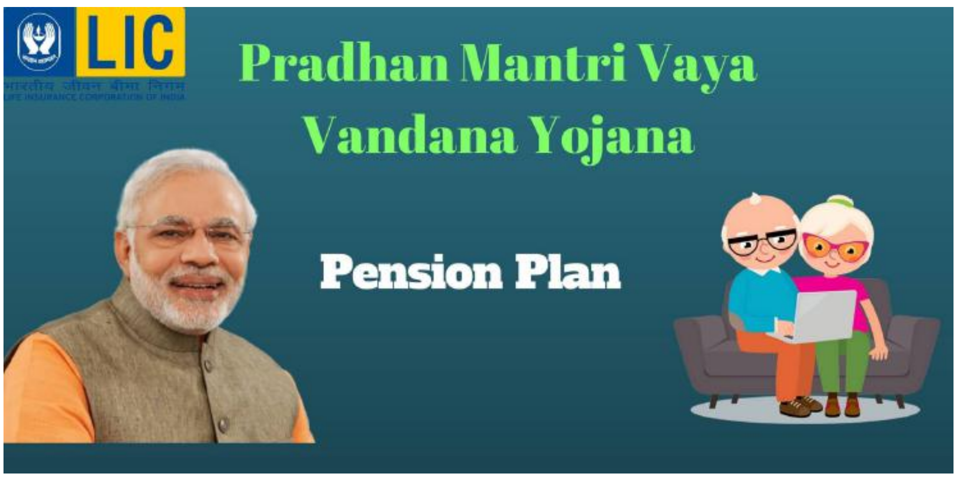

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा पहलों को प्रोत्साहन देते हुये योजना के तहत मौजूदा निवेश सीमा साढ़े सात लाख रुपये को बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वरिष्ठ नागरिक कर दिया गया है। इससे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। निवेश सीमा बढ़ने से वरिष्ठ नागरिकों को प्रति माह दस हजार रुपये तक पेंशन मिल सकेगी।

मार्च-2018 तक कुल 2.23 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना के तहत अब तक लाभार्थी को दस साल की अवधि के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन प्रतिमाह की गारंटी है। इससे पहले की वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2014 के तहत 3.11 लाख वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हुए थे। पीएमवीवीवाई का क्रियान्वयन जीवन बीमा निगम-एलआईसी के जरिये किया जा रहा है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. भारतीय अर्थव्यवस्था पर हार्वड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट

भारत अगले दशक की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हार्वर्ड विवि की रिपोर्ट कहती है कि देश की वृद्धि दर सालाना 7.9% रहेगी और यह देश अमेरिका व चीन से भी ज्यादा रफ्तार से तरक्की करेगा। 2026 में चीन की वृद्धि दर 4.9 व फ्रांस की 3.5 व अमेरिका की तीन फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है।

अमेरिकी विवि के सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में हालांकि यह भी कहा कि भारत ने अर्थव्यवस्था में मौजूद कई खामियों को दूर करने में सफलता हासिल की है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे मोर्चों पर काम होना बाकी है। भारत के बाद यूगांडा का नंबर है। रिपोर्ट कहती है कि आर्थिक मोर्चे पर यह छोटा सा देश भी तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है। कांप्लेक्सिटी अपॉरच्युनिटी इंडेक्स (सीओआइ)

- एक दशक में सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था होगा भारत: हार्वर्ड
- दो-तीन साल में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा भारत: मुकेश अंबानी
- इस साल चीन से आगे निकल जाएगी भारत की आर्थिक वृद्धि दर: विश्व बैंक
- अगले एक दशक में सबसे तेज होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार
- कई बरसों तक रहेगी आठ फीसद की आर्थिक रफ्तार

की रिपोर्ट में भी भारत को अव्वल माना गया है। निर्यात के क्षेत्र में भारत ने क्षमता का प्रदर्शन किया है। इससे जुड़े उत्पादों के मसले पर भी नई इबारत लिखी जा रही है। सीओआइ इंडेक्स की रिपोर्ट का मतलब यह भी है कि भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर काम किया जाना बाकी है। इससे न केवल विकास की दर तेजी से बढ़ेगी बल्कि नौकरियां भी भारी संख्या में सृजित होंगी।

भारत ने पिछले एक दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में मौजूद खामियों को दूर नहीं किया इसकी वजह से यह क्षेत्र अछूते रह गए, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो सुधार हुए उससे अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की संभावना पैदा हो रही है। रिपोर्ट कहती है कि न्यू केमिकल, वाहनों व इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का निर्यात उपमहाद्वीप की कुछ खास जगहों तक सीमित है। डायरेक्टर ऑफ सीआइडी, हार्वर्ड केनेडी स्कूल के प्रोफेसर व एटलस इकोनॉमी के प्रमुख शोधकर्ता रिकार्डो हौसमन का कहना है कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया व थाईलैंड भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ■

2. नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन हेतु इनसाइट मिशन लॉन्च किया

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की संरचना को गहराई से समझने के अपने महत्वपूर्ण मिशन के तहत एक और सफल कदम बढ़ाते हुए दो मिनी सेटेलाइटों के साथ 'इनसाइट' यान का प्रक्षेपण किया। यह यान इस वर्ष नवंबर में मंगल की सतह पर उतरेगा।

एटलस-पांच रॉकेट के माध्यम से इस यान का कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग एयर फोर्स स्टेशन से सफल प्रक्षेपण किया गया। नासा के अध्यक्ष जिम ब्रिडेंस्टाइन ने वैज्ञानिकों की टीम को बधाई दी तथा बयान जारी किया कि इस यान के प्रक्षेपण से मंगल के बारे में नयी और सटीक जानकारियां मिलेंगी।

इनसाइट मिशन की विशेषताएं

- यह यान मंगल के तापमान का पता लगाने के लिए इसकी सतह पर करीब 16 फुट तक खुदाई करेगा।
- इनसाइट में अति-संवेदनशील सिस्मोमीटर लगा है जो यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि मंगल पर भूकंप की क्या स्थिति है।
- इस अभियान की विशेषता यह है कि इसमें एक रोबोटिक जियोलॉजिस्ट (रोबोट भूविज्ञानी) भी भेजा गया है और यही मंगल की सतह पर गहरी खुदाई करके सतह पर होने वाले कंपनों को मापेगा।
- यह यान विशेष रूप से मंगल की आंतरिक संरचना की गहराई से अध्ययन करेगा।
- इसके अलावा मंगल की आतंरिक खोज के लिए कई तरह के संवेदनशील उपकरण लगाए गए हैं।
- इस अभियान से यह जांच करना संभव होगा कि ग्रह के आंतरिक भाग से कितनी गर्मी का प्रवाह हो रहा है।
- वैज्ञानिकों का अनुमान मंगल ग्रह की भूमध्य रेखा के पास दिन का ग्रीष्मकालीन तापमान 70 डिग्री फोरेनहाइट (20 डिग्री सेल्सियस) तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर रात से −100 फोरेनहाइट (−73 सेल्सियस) तक पहुंच जाता है।

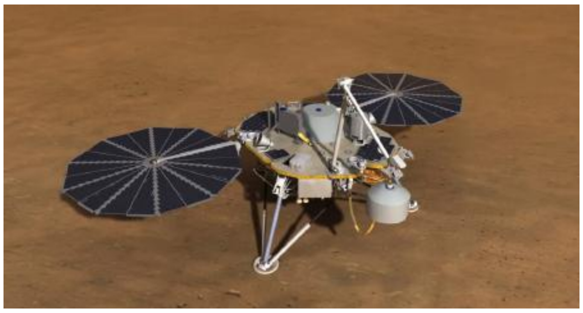

टिप्पणी

मंगल ग्रह का गहराई से अध्ययन करने से यह पता लग सकेगा कि इसकी बाहरी परतें और आतंरिक भाग किस तरह पृथ्वी से अलग हैं। यूरोपीय देशों का भी इस अभियान में पूरा सहयोग है। नासा मंगल ग्रह से पर्दा उठाने के लिए कई रोवर भेज चुकी है। उसने वर्ष 2003 में 'अपॉरच्युनिटी' और वर्ष 2011 में 'क्यूरियोसिटी' रोवर मंगल पर भेजा था। ■

3. अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दो लाख से ज्यादा भारतीय छात्र

भारतीय छात्रों के बीच अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विभिन्न विश्वविद्यालयों में दो लाख से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अमेरिका में विदेशी छात्रों की संख्या के मामले में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है।

अमेरिकी गृह विभाग की स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में दो लाख 11 हजार 703 भारतीय विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। चीन के छात्रों की संख्या तीन लाख 77 हजार 70 है।

- अमेरिका में भारतवंशी किशोर ने जीता क्विज शो, इनाम में मिले 66 लाख रुपये
- सरकारी नारे वाला बैनर फाड़ा तो अमेरिकी छात्र को 15 साल जेल
- अमेरिका में 1.8 लाख भारतीय छात्र
- एक लाख से ज्यालदा भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं अमेरिका में
- अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने 25 भारतीय छात्रों को निकाला

49 फीसद छात्र भारत या चीन के

इस द्विवार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि एफ-1 और एम-1 वीजा पर अमेरिका आए छात्रों में 49 फीसद चीन और भारत के हैं। यही नहीं, अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों में 77 फीसद एशिया के हैं।

क्या है एफ-1, एम-1 वीजा

एफ-1 और एम-1 अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले स्टूडेंट वीजा हैं। एफ-1 वीजा में बैचलर, मास्टर, डॉक्टरेट या प्रोफेशनल डिग्री के लिए छात्र अमेरिका आते हैं। एम-1 वीजा पर व्यावसायिक या तकनीकी कार्यक्रम में जूनियर, कम्युनिटी कॉलेज और ट्रेड स्कूल में पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं। ■

4. भारत और चीन की सेनाओं के मध्य हॉटलाइन की मंजूरी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच वुहान में आयोजित की गई अनौपचारिक बैठक के बाद दोनों देशों की सेनाओं के मध्य हॉटलाइन स्थापित किये जाने की घोषणा की गई है। विदित हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-चीन संबंध को मजबूत करने के लिए दो दिवसीय अभूतपूर्व शिखर वार्ता में शी चिनफिंग से मुलाकात की। दोनों देशों के नेता अपने-अपने सैन्य मुख्यालयों के बीच एक हॉटलाइन बनाने पर कथित तौर पर सहमत हो गए हैं।

हॉटलाइन का लाभ

भारत और चीन के नेता अपने-अपने सैन्य मुख्यालयों के बीच एक हॉटलाइन बनाने पर कथित तौर पर सहमत हो गए हैं। इस हॉटलाइन को विश्वास पैदा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे दोनों मुख्यालयों को 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) में सीमा गश्ती दल के बीच तनाव और डोकलाम जैसे गतिरोध से बचने के लिए संवाद बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (डीजीएमओ) के बीच हॉटलाइन सुविधाएं हैं लेकिन चीन के संबंध में ऐसी किसी सुविधा का संचालन करने के लिए चीनी सेना को एक नामित अधिकारी की पहचान करनी होगी।

हॉटलाइन सेवा क्या है?

हॉटलाइन एक तरह की विशेष दूरभाष सुविधा है जिसमें एक व्यक्ति (दूरभाष) को दूसरे व्यक्ति (दूरभाष) से सीधे सुरक्षित तरीके से जोड़ा जाता है। इस प्रणाली में रिसीवर उठाते ही सम्बंधित व्यक्ति से ही संपर्क हो जाता है। इसमें डायल नहीं करना पड़ता है। यह संचार सेवा की सबसे सुरक्षित प्रणाली मानी जाती है। इसमें एक दूरभाष से पहले से निर्धारित दूसरे दूरभाष से ही सम्पर्क होता है और संपर्क कहीं और नहीं जुड़ता। मास्को और वाशिंगटन के मध्य विश्व की सबसे प्रसिद्ध हॉटलाइन सेवा है। इसे रेड टेलीफोन भी कहते हैं। यह हॉटलाइन सेवा 20 जून 1963 को प्रारम्भ हुई थी। ■

5. विश्व बैंक ने ट्रैकिंग एसडीजी 7: द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट लॉन्च की

कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए गये एक नए अध्ययन के मुताबिक दुनिया वर्ष 2030 के लिए वैश्विक ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि फिर भी कुछ क्षेत्रों में वास्तविक प्रगति की जा रही है, जैसे कि अल्पविकसित देशों में बिजली तक पहुंच का विस्तार और औद्योगिक ऊर्जा दक्षता।

नवीकरणीय ऊर्जा बिजली क्षेत्र में प्रभावशाली लाभ दे रही है। जबकि वैश्विक रूझान निराशाजनक है, दुनिया भर में हाल के राष्ट्रीय अनुभव उत्साहजनक संकेत देते हैं। नए

सबूत इस बात की गवाही देते हैं कि सही दृष्टिकोण और नीतियों के साथ, देश स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा पहुंच में पर्याप्त प्रगति कर सकते हैं तथा लाखों लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं।

प्रमुख तथ्य

ट्रैकिंग एसडीजी 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल फोरम में लांच की गयी है। बिजली, स्वच्छ खाना पकाने, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता तक पहुंच के वैश्विक ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में दुनिया की प्रगति पर यह सबसे व्यापक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट है।

रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। यह निष्कर्ष आधिकारिक राष्ट्रीय स्तर के डेटा पर आधारित हैं और अक्षय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता के लिए वर्ष 2015 तक और बिजली तथा साफ खाना पकाने के उपयोग के लिए वर्ष 2016 तक की वैश्विक प्रगति को मापते हैं।

निष्कर्ष

- एक अरब लोग अर्थात् दुनिया की 13% आबादी अभी भी बिजली के बिना रहती है।
- बिजली के बिना दुनिया के लगभग 87% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।
- बिजली तक पहुँच के मामले में वर्ष 2010 से लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है।
- भारत ने किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा सालाना 30 मिलियन लोगों को बिजली प्रदान की है।
- तीन अरब लोग अर्थात् दुनिया की आबादी का 40% से अधिक भाग स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन और प्रौद्योगिकियों की पहुँच से दूर हैं।

ट्रैकिंग एसडीजी 7: द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए), अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए), संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी विभाग (यूएनएसडी), विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का संयुक्त प्रयास है। ■

6. आईएएफ के महिला धावकों के लिए नए नियम

विश्व एथलेटिक्स निकाय अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ ने नए नियमों को पेश किया है जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में उच्च टेस्टोस्टेरोन के स्तर वाली महिला एथलीटों की भागीदारी को प्रतिबंधित करते हैं।

महिला धावकों के लिए नए नियम

इन नियमों को बनाने की शुरूआत भारतीय धाविका दुती चंद ने वर्ष 2014 में हाइपरएंड्रोजेनिस्म (एक चिकित्सकीय स्थिति जिसमें पुरूष सेक्स हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन की अधिकता हो जाती है) के लिए वर्तमान में निलंबित दिशानिर्देशों को सफलतापूर्व चुनौती दी थी।

कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स (सीएएस) ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन (आईएएएफ) से उन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कहा था जो स्पष्ट रूप से उन घटनाओं को निर्दिष्ट करेंगे जिनमें टेस्टोस्टेरोन का उच्च लेकिन स्वाभाविक रूप से होने वाला स्तर शामिल हैं। नवंबर 2018 से ये नए नियम लागू हो रहे हैं। इससे पहले, 10 नैनोमोल्स प्रति लीटर के टेस्टोस्टेरोन के स्तर से अधिक वाली महिला खिलाड़ी ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में भाग लेने के लिए अपात्र थी। कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ (आईएएफ) के उस नए नियम पर असंतोष व्यक्त किया है जिसमें कहा गया है कि उच्च टेस्टोस्टेरोन वाली एथलीटों को दवा लेनी होगी। ■

7. डब्ल्यूएचओ का दैनिक कैलोरी सेवन पर दिशानिर्देश

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने अनुशंसा की है कि वयस्कों और बच्चों को अपने दैनिक कैलोरी सेवन (डेली कैलोरी इन्टेक) में संतृप्त वसा (मांस और मक्खन में पाए जाने वाले) के रूप में अधिकतम 10% और ट्रांस वसा के रूप में 1% उपभोग करना चाहिए। मसौदे की यह सिफारिशें, वर्ष 2002 के बाद से पहली बार, गैर-संक्रमणीय बीमारियों (एनसीडी) को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। गैर-संक्रमणीय बीमारियाँ वर्ष 2016 में दुनिया भर में हुई 54.7 मिलियन मौतों में अनुमानित 39.5 मिलियन मौतों (72%) के लिए जिम्मेदार थीं।

प्रमुख तथ्य

प्रमुख एनसीडीज में, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियाँ (सीवीडी) 2016 में एनसीडी मृत्यु दर का प्रमुख कारण थी, और सभी एनसीडी मौतों में से लगभग आधे के लिए जिम्मेदार थीं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, आहार संतृप्त फैटी एसिड (डाइटरी सैचुरेटेड फैटी एसिड) और ट्रांस-फैटी एसिड विशेष चिंता का विषय हैं क्योंकि इनका उच्च स्तर का सेवन सीवीडी के बढ़ते जोखिम से संबंधित है।

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, आहार संतृप्त फैटी एसिड (डाइटरी सैचुरेटेड फैटी एसिड) और ट्रांस-फैटी एसिड विशेष चिंता का विषय है क्योंकि इनका उच्च स्तर का सेवन सीवीडी के बढ़ते जोखिम से संबंधित है। डब्ल्यूएचओ ने दिशानिर्देशों के मसौदे पर सार्वजनिक टिप्पणियों को भी आमंत्रित किया है, जोकि 1 जून तक खुला है। दिशानिर्देशों के मसौदे को साक्ष्य-सूचित दिशानिर्देश विकास के लिए डब्ल्यूएचओ की प्रक्रियाओं के अनुसार विकसित किया गया था।

सैचुरेटेड फैटी एसिड

सैचुरेटेड फैटी एसिड पशु स्रोतों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे मक्खन, दूध, मांस, सल्मोन और अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। चॉकलेट एवं कोकोआ मक्खन, नारियल, पाम और पाम कर्नेल तेल जैसे कुछ पौधों से व्युत्पन्न उत्पाद भी सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रदान करते हैं।

ट्रांस-फैटी एसिड

इन्हें सब्जी और मछली के तेलों के आंशिक हाइड्रोजनीकरण द्वारा औद्योगिक रूप से उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से जुगाली करने वाले पशुओं के मांस और डेयरी उत्पादों में (उदाहरण के लिए मवेशी, भेड़, बकरियाँ और ऊँट) पाए जाते हैं। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

डीएनए प्रोफाइलिंग

चर्चा का कारण

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि केंद्र सरकार कानून बना रही है, इसलिए अब इस याचिका की सुनवाई की जरूरत नहीं है।

केंद्र की इस जानकारी के बाद न्यायालय ने गैर-सरकारी संगठन लोकनीति फाउंडेशन की छह साल पुरानी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया।

केंद्र सरकार ने 1 मई को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह संसद के मानसून सत्र में डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक पेश करेगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

विधि आयोग द्वारा इस विधेयक को लाने की कवायद तब शुरू हुई जब उसे बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा सिविल और आपराधिक कार्यवाही में डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विनियमन विधेयक 2016 का प्रारूप प्राप्त हुआ।

विधेयक में एक वैधानिक 'डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड की स्थापना' करने की बात की गई है।

इस विधेयक मे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर डीएनए डेटा बैंकों के निर्माण की बात की गई है।

डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिये देश भर में मिलने वाले अज्ञात शवों का डीएनए, लापता लोगों के डीएनए से मिलान कराया जा सकता है, जिससे उनकी पहचान करने में आसानी हो सकती है।

प्रभाव

केंद्र सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की कुण्डली तैयार करने की दृष्टि से मानव डीएनए संरचना विधेयक-2015 लाने की कवायद में लगी है।

यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो देश के हर एक नागरिक का जीन आधारित कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार होगा।

इसे अस्तित्व में लाने का प्रमुख कारण अपराध पर नियंत्रण और बीमारी का उचित इलाज बताया जा रहा है।

हालांकि इस विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में आम नागरिकों के मूल अधिकारों में दर्ज गोपनियता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है।

चुनौतियाँ

प्रयोगशालाओं से तैयार डेटा आंकड़ों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए डीएनए डाटा-बैंक बनाने होंगे जो एक बड़ी चुनौती है।

जीनोम कुंडली बांचने के लिए ऐसे सुपर कंप्यूटरों की जरूरत होगी जो आज के सबसे तेज गति से चलने वाले कंप्यूटर से भी हजार गुना अधिक गति से चल सकें।

इतनी बड़ी आबादी और भिन्न-भिन्न नस्ल व जाति वाले भारत जैसे देश में कोई निर्विवाद व आशंकाओं से परे डाटाबेस तैयार हो जाए यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।

तंबाकू नियंत्रण एवं डब्ल्यूएचओ

चर्चा का कारण

- यह धुमपान और तंबाकू चबाने या धुआँ रहित तंबाकू के रूपों में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रूपरेखा समझौते की धारा 15 के अंतर्गत समझौता वार्ता को अंगिकार करता है।
- भारत डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी समझौते में शामिल है।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिये तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रूपरेखा समझौते के अंतर्गत प्रोटोकॉल को स्वीकार करने की स्वीकृति दी।

उद्देश्य

- एफसीटीसी का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर तंबाकू नियंत्रण के लिये आपूर्ति मांग कटौती उपायों की रूपरेखा उपलब्ध कराना है।
- एफसीटीसी के अनुरूप यह प्रोटोकॉल विकसित किया गया है और सम्मेलन में शामिल पक्षों द्वारा अपनाया गया है।
- प्रोटोकॉल दस भागों में विभाजित है और इसमें 47 धाराएँ हैं।

प्रभाव

- नियमों को मजबूत बनाकर उत्पाद में अवैध व्यापार की समाप्ति से व्यापक तंबाकू नियंत्रण को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
- इस संधि को मान लेने से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले वर्तमान व्यवहारों के विरूद्ध कार्रवाई योग्य विकल्प उपलब्ध होंगे।
- तंबाकू के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को मजबूत बनाने में तंबाकू उत्पाद में अवैध व्यापार की समाप्ति से संबंधित प्रोटोकॉल पथ-प्रदर्शक पहल है।
- इससे तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल कम होगा परिणामस्वरूप बीमारी के बोझ में कमी आएगी और तंबाकू के इस्तेमाल के कारण होने वाली मृत्यु में भी कमी होगी।

मुख्य तथ्य

- सिगरेट के पैकेट के कम से कम एक-तिहाई हिस्से पर धूम्रपान से सेहत को पहुँचने वाले नुकसान के बारे में चेतावनी देना आवश्यक होगा।
- इस प्रोटोकॉल में तंबाकू उत्पाद बनाने के लिए लाइसेंस, मशीनरी, उत्पादन में शामिल पक्षों के लिए उचित उद्यम, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग व्यवस्था आदि शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से तंबाकू-नियंत्रण पर इस संधि के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है।
- ई-कॉमर्स, मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्माण तथा शुल्क मुक्त बिक्री में शामिल पक्षों द्वारा कदम उठाए जाएंगे।

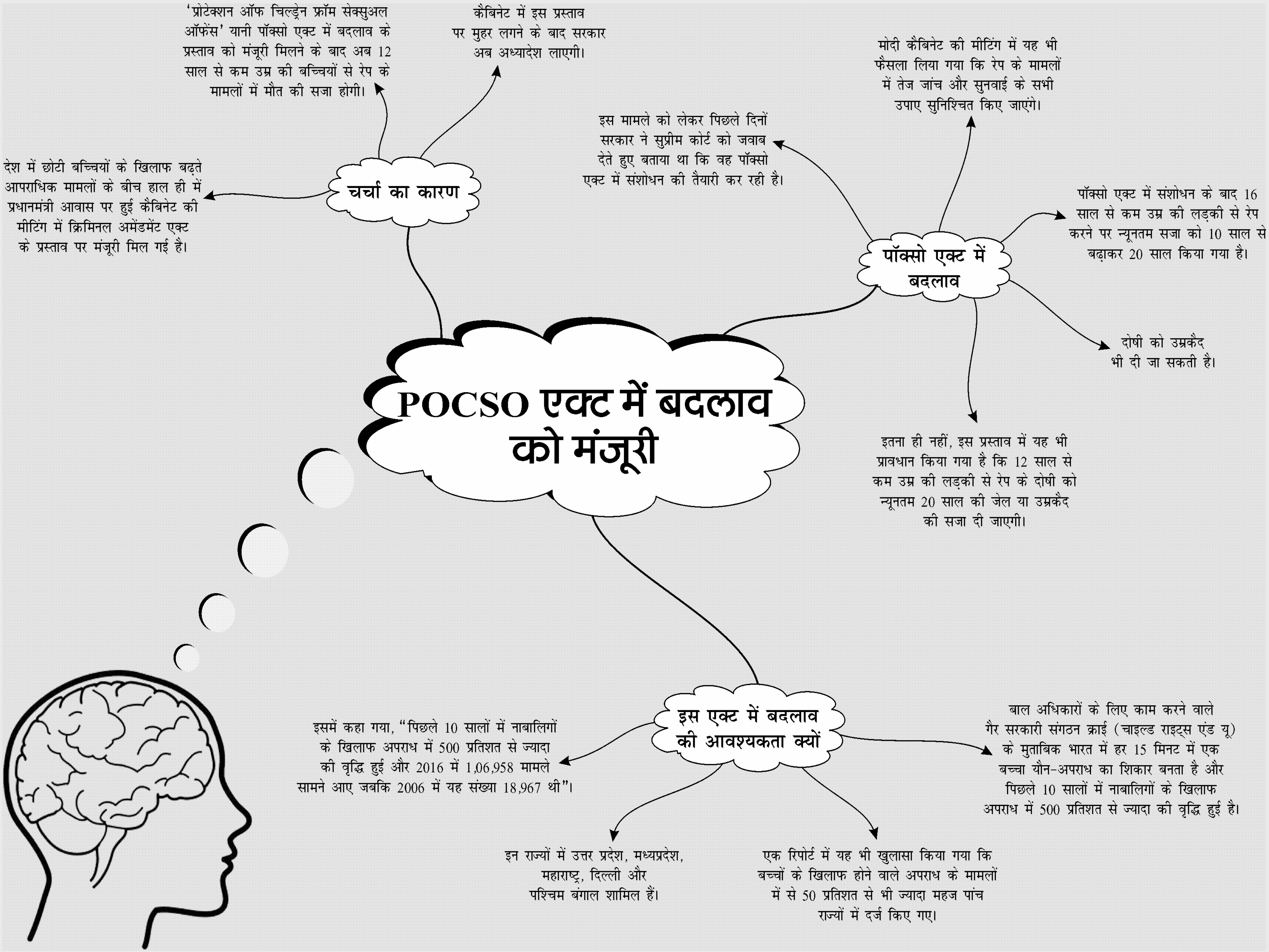
POCSO एक्ट में बदलाव को मंजूरी
चर्चा का कारण
'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' यानी पॉक्सो एक्ट में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामलों में मौत की सजा होगी।
कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद सरकार अब अध्यादेश लाएगी।
देश में छोटी बच्चियों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की मीटिंग में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है।
पॉक्सो एक्ट में बदलाव
इस मामले को लेकर पिछले दिनों सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए बताया था कि वह पॉक्सो एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है।
मोदी कैबिनेट की मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया कि रेप के मामलों में तेज जांच और सुनवाई के सभी उपाए सुनिश्चित किए जाएंगे।
पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है।
दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है।
इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद की सजा दी जाएगी।
इस एक्ट में बदलाव की आवश्यकता क्यों
इसमें कहा गया, "पिछले 10 सालों में नाबालिगों के खिलाफ अपराध में 500 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई और 2016 में 1,06,958 मामले सामने आए जबकि 2006 में यह संख्या 18,967 थी"।
बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन क्राई (चाइल्ड राइट्स एंड यू) के मुताबिक भारत में हर 15 मिनट में एक बच्चा यौन-अपराध का शिकार बनता है और पिछले 10 सालों में नाबालिगों के खिलाफ अपराध में 500 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई है।
इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा महज पांच राज्यों में दर्ज किए गए।

नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी

चर्चा का कारण

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने 04 मई 2018 को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गंगा कायाकल्प कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से 1767 में गठित भारत के सबसे पुराने विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अपना साथ जोड़ा है।
- इस परियोजना को कार्यकारी समिति की बैठक में मंजूर किया गया था और इसकी अनुमानित लागत 86.84 करोड़ रुपये है।

जीआईएस प्रौद्योगिकी

- इस परियोजना में डिजीटल इलिवेशन मॉडल (डीईएम) प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है जो सटीक आंकड़ा संग्रह सुनिश्चित करता है।
- यह नदी-बेसिन प्रबंधन योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है डीईएम प्रौद्योगिकी पूरे क्षेत्र की स्थलाकृति की पहचान करता है।
- इससे नीति निर्माता आसानी से उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार यह नीति निर्माण प्रक्रिया की सहायता प्रदान करता है।
- इस तकनीक से महत्वपूर्ण स्थानों की पहचान की जा सकती है। जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग विकेंद्रीकरण भी सुनिश्चित करेगा।
- संग्रह किये गए आंकड़ों तथा सरकार द्वारा उठाए गये कदमों की जानकारी पोर्टल और मोबाईल एप के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ साझा की जा सकती है। इस प्रकार यह आपसी संवाद सुलभ करेगा तथा एक पारदर्शी मंच साबित होगा।
- प्रभावी निर्वहन प्रबंधन के लिए औद्योगिक व्यावसायिक और सभी अन्य प्रकार की संस्थाओं से निकलने वाले सीवेज की मैपिंग की जाएगी।
- जीआईएस प्रौद्योगिकी से नदी के दोनों किनारों पर प्रस्तावित उच्च क्षमता वाली संरक्षित क्षेत्रों के नियमन में सहायता मिलेगी।

विशेष तथ्य

- एनएमसीजी का लक्ष्य राष्ट्रीय/राज्य/स्थानीय स्तर पर योजना निर्माण तथा इसका कार्यान्वयन है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड व पश्चिम बंगाल के राज्य प्रदूषण बोर्डों (एसपीसीबी) को सुदृढ़ बनाने से संबंधित एक परियोजना को मंजूरी दी है ताकि वे समय-समय पर जल की गुणवत्ता सत्यापित कर सकें।
- प्रदूषण मूल्यांकन और जल गुणवत्ता निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे तथा प्रशिक्षित विज्ञानकर्मियों को नियुक्त किया जाएगा।
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ बनाने की परियोजना की अनुमानित लागत 5 वर्षों के लिए 85.97 करोड़ रुपये है।

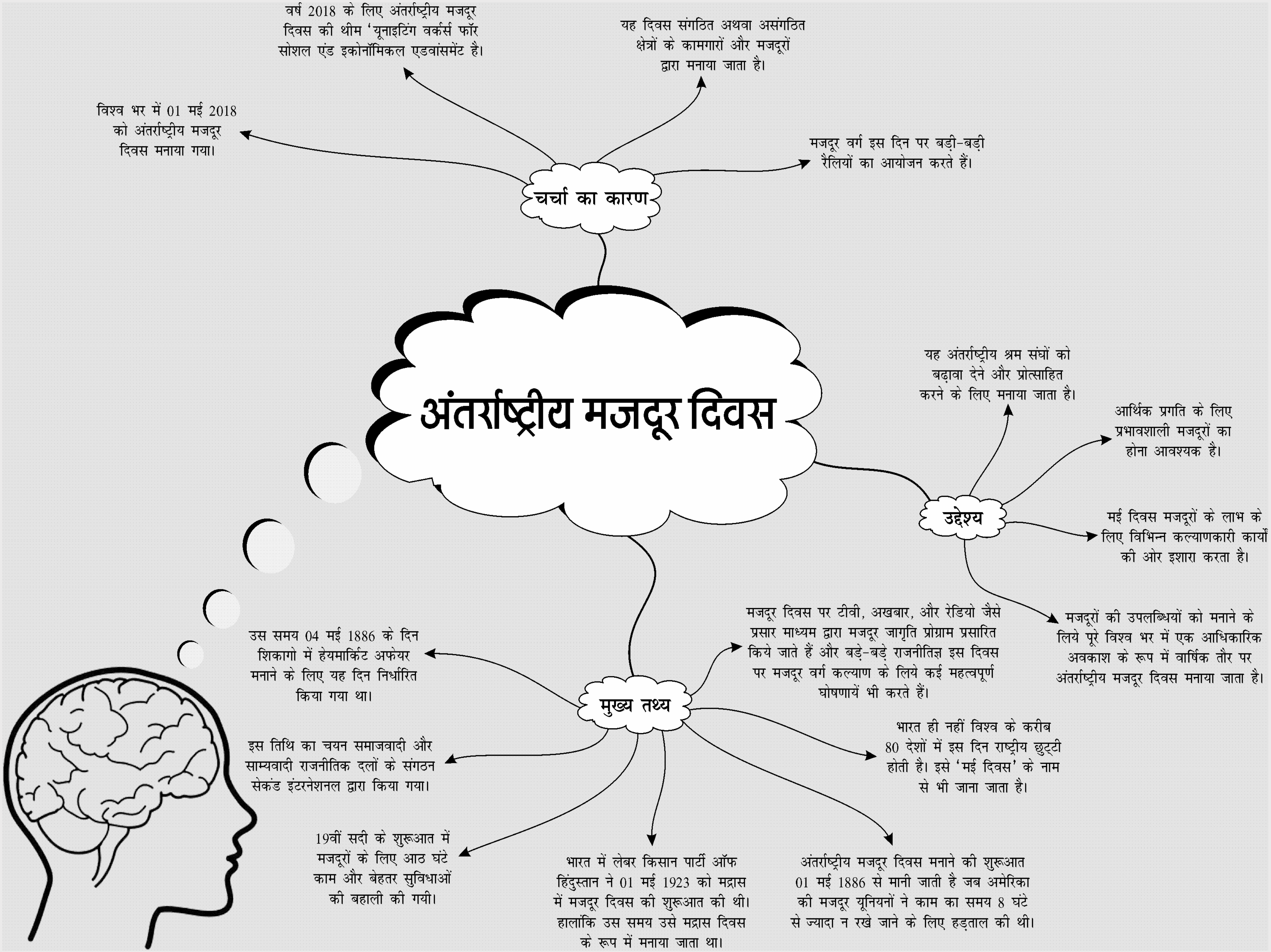
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस
चर्चा का कारण
विश्व भर में 01 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया।
वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की थीम 'यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल एडवांसमेंट है।
यह दिवस संगठित अथवा असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और मजदूरों द्वारा मनाया जाता है।
मजदूर वर्ग इस दिन पर बड़ी-बड़ी रैलियों का आयोजन करते हैं।
उद्देश्य
यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।
आर्थिक प्रगति के लिए प्रभावशाली मजदूरों का होना आवश्यक है।
मई दिवस मजदूरों के लाभ के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यों की ओर इशारा करता है।
मजदूरों की उपलब्धियों को मनाने के लिये पूरे विश्व भर में एक आधिकारिक अवकाश के रूप में वार्षिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है।
मुख्य तथ्य
उस समय 04 मई 1886 के दिन शिकागो में हेयमार्किट अफेयर मनाने के लिए यह दिन निर्धारित किया गया था।
इस तिथि का चयन समाजवादी और साम्यवादी राजनीतिक दलों के संगठन सेकंड इंटरनेशनल द्वारा किया गया।
19वीं सदी के शुरूआत में मजदूरों के लिए आठ घंटे काम और बेहतर सुविधाओं की बहाली की गयी।
भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 01 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरूआत की थी। हालांकि उस समय उसे मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरूआत 01 मई 1886 से मानी जाती है जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी।
भारत ही नहीं विश्व के करीब 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। इसे 'मई दिवस' के नाम से भी जाना जाता है।
मजदूर दिवस पर टीवी, अखबार, और रेडियो जैसे प्रसार माध्यम द्वारा मजदूर जागृति प्रोग्राम प्रसारित किये जाते हैं और बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ इस दिवस पर मजदूर वर्ग कल्याण के लिये कई महत्वपूर्ण घोषणायें भी करते हैं।

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

पृष्ठभूमि

- यूनेस्को द्वारा वर्ष 1997 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है।
- यह पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो।
- इसका आयोजन संयुक्त रूप से फ्रांस, ग्रीस और लिथुआनिया के स्थायी मिशन द्वारा किया जाता है।
- विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, जिसे विश्व प्रेस दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

उद्देश्य

- प्रेस की आजादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर, सशक्त हो रहे मीडियाकर्मियों का व्यापक विकास करना इसक उद्देश्य है।
- मीडिया की आजादी का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी राय कायम करने और सार्वजनिक तौर पर इसे जाहिर करने का अधिकार है।
- विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है।

चर्चा का कारण

- इस वर्ष का विषय था 'कीपिंग पावर इन चेक: मीडिया, जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ'।
- विश्व भर में 03 मई 2018 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

भारत में प्रेस की स्थिति

- भारत जैसे विकासशील देशों में मीडिया पर जातिवाद और सम्प्रदायवाद जैसे संकुचित विचारों के खिलाफ संघर्ष करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में लोगों की सहायता करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
- गौरतलब है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है।

मुख्य तथ्य

- इस सर्वेक्षण में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है।
- भारत जैसे देश में बहुत बड़ा वर्ग पिछड़ा और अनभिज्ञ है, इसलिये यह और भी जरूरी है कि प्रेस के द्वारा आधुनिक विचार उन तक पहुँचाए जाएं और उनका पिछड़ापन दूर किया जाए, ताकि वे सजग भारत का हिस्सा बन सकें।
- अंतर्राष्ट्रीय संस्था, रिपोर्टर्स विदआॅउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा 25 अप्रैल 2018 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2018 रिपोर्ट जारी की गयी।
- इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान गिरकर 138वें स्थान पर पहुंच गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा पत्रकारों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है तथा उनके खिलाफ हिंसक घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।

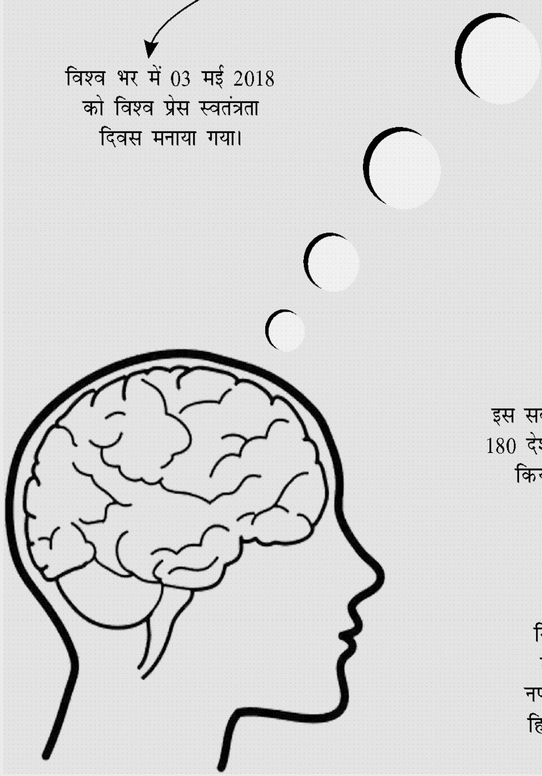

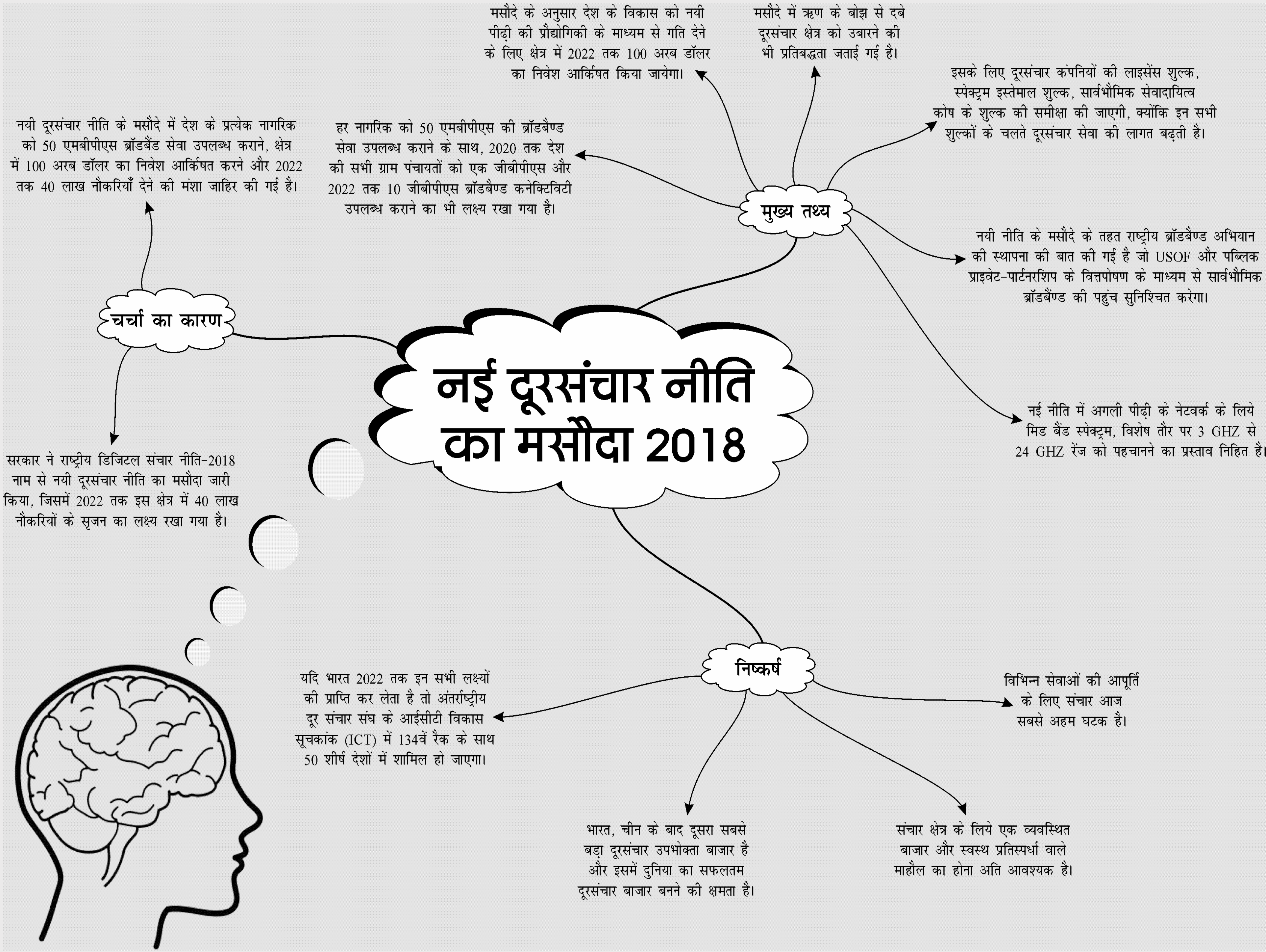
नई दूरसंचार नीति का मसौदा 2018
मुख्य तथ्य
मसौदे के अनुसार देश के विकास को नयी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के माध्यम से गति देने के लिए क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश आर्किषत किया जायेगा।
मसौदे में ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है।
इसके लिए दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क, सार्वभौमिक सेवादायित्व कोष के शुल्क की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि इन सभी शुल्कों के चलते दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है।
हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉडबैण्ड सेवा उपलब्ध कराने के साथ, 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस और 2022 तक 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।
नयी नीति के मसौदे के तहत राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड अभियान की स्थापना की बात की गई है जो USOF और पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप के वित्तपोषण के माध्यम से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंण्ड की पहुंच सुनिश्चित करेगा।
नई नीति में अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिये मिड बैंड स्पेक्ट्रम, विशेष तौर पर 3 GHZ से 24 GHZ रेंज को पहचानने का प्रस्ताव निहित है।
चर्चा का कारण
नयी दूरसंचार नीति के मसौदे में देश के प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आर्किषत करने और 2022 तक 40 लाख नौकरियाँ देने की मंशा जाहिर की गई है।
सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नयी दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक इस क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
निष्कर्ष
यदि भारत 2022 तक इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ के आईसीटी विकास सूचकांक (ICT) में 134वें रैंक के साथ 50 शीर्ष देशों में शामिल हो जाएगा।
विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति के लिए संचार आज सबसे अहम घटक है।
भारत, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बाजार है और इसमें दुनिया का सफलतम दूरसंचार बाजार बनने की क्षमता है।
संचार क्षेत्र के लिये एक व्यवस्थित बाजार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाले माहौल का होना अति आवश्यक है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक में एक वैधानिक "डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड" की स्थापना करने की बात की गई है।
2. यह विधेयक पारित हो जाने के बाद देश के हर एक नागरिक का जीन आधारित कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार होगा।
3. विधि आयोग द्वारा इस विधेयक को लाने की कवायद तब शुरू हुई जब उसे बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा सिविल और आपराधिक कार्यवाही में डीएनए आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग और विनियम विधेयक-2016 का प्रारूप प्राप्त हुआ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 1 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: केंद्र सरकार ने 1 मई को उच्चतम न्यायालय में बताया कि वह संसद के मानसून सत्र में डीएनए प्रोफाइलिंग विधेयक पेश करेगी। डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए देश भर में मिलने वाले अज्ञात शवों का डीएनए लापता लोगों के डीएनए से मिलान कराया जा सकता है जिससे उनकी पहचान करने में आसानी हो सकती है। इसके द्वारा केंद्र सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की कुण्डली तैयार करने की दृष्टि से मानव डीएनए संरचना विधेयक लाने की कवायद में लगी है। इसे अस्तित्व में लाने का प्रमुख कारण अपराध पर नियंत्रण और बीमारी का उचित इलाज बताया जा रहा है। ■

2. तंबाकू नियंत्रण एवं डब्ल्यूएचओ

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

1. विश्व तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (एफसीटीसी) का उद्देश्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर तंबाकू नियंत्रण के लिए आपूर्ति मांग कटौती उपायों की रूपरेखा उपलब्ध कराना है।
2. इस प्रोटोकॉल में तंबाकू उत्पाद बनाने के लिए लाइसेंस, मशीनरी, उत्पाद में शामिल पक्षों के लिए उचित उद्यम, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग व्यवस्था आदि शामिल हैं।
3. सिगरेट के पैकेट पर कम से कम आधे हिस्से पर धूम्रपान से सेहत को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में चेतावनी देना आवश्यक है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 व 3
(c) केवल 1 व 2 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिये तंबाकू नियंत्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूपरेखा समझौते के अंतर्गत प्रोटोकॉल को स्वीकार करने की स्वीकृति दी। इसके अनुसार सिगरेट के पैकेट के कम से कम एक तिहाई हिस्से पर धूम्रपान से सेहत को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में चेतावनी देना आवश्यक होगा। इसलिए कथन 3 गलत है अतः उत्तर (c) होगा। ■

3. POCSO एक्ट में बदलाव

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करने पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है।
2. क्राई रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में से 50 प्रतिशत से भी ज्यादा महज पांच राज्यों में दर्ज किए गए।
3. क्राई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में बच्चों के शोषण की दर सर्वोधिक है।
4. क्राई रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 सालों में नाबालिगों के खिलाफ अपराध में 500 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हुई और 2016 में 1,06,958 मामले सामने आए।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3 (b) केवल 2, 3 व 4
(c) केवल 3 व 4 (d) 1, 2, 3, व 4

उत्तर: (d)

व्याख्या: देश में छोटी बच्चियों के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की मीटिंग में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी पॉक्सो एक्ट में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामलों में मौत की सजा होगी। इस संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. नमामि गंगे परियोजना में डिजिटल इलिवेशन मॉडल (डीईएम) प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है जो सटीक आंकड़ा संग्रह सुनिश्चित करता है।
2. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो को सुदृढ़ बनाने की परियोजना की अनुमानित लागत 5 वर्षों के लिए 85.97 करोड़ रुपये हैं।
3. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड व पश्चिम बंगाल के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो को सुदृढ़ बनाने से संबंधित एक परियोजना को मंजूरी दी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 3
(c) केवल 2 व 3 (d) 1, 2 व 3

उत्तर: (d)

व्याख्या: राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 04 मई 2018 को भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गंगा कायाकल्प कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से 1767 में गठित भारत के सबसे पुराने विभाग भारतीय सर्वेक्षण विभाग को अपने साथ जोड़ा है। यह नदी बेसिन प्रबंधन योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। नमामि गंगे कार्यक्रम के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सत्य हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

5. अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वर्ष 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस की थीम "यूनाइटेड वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिकल एडवांसमेंट" है।
2. अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरूआत 01 मई 1880 से मानी जाती है जब अमेरिका के मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी।
3. भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 01 मई 1925 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरूआत की थी।
4. इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 4
(c) केवल 2 व 3 (d) केवल 1 व 4

उत्तर: (c)

व्याख्या: विश्व भर में 01 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। भारत सहित विश्व के करीब 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरूआत 1 मई 1886 से मानी जाती है इसलिए कथन 2 गलत है। भारत में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 01 मई 1923 को मद्रास में मजदूर दिवस की शुरूआत की थी हालांकि उस समय इसे मद्रास दिवस के रूप में मनाया जाता था। अत: कथन 3 भी गलत है इसलिए उत्तर (c) होगा। ■

6. विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

प्र. निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है-

(a) विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस-2018 का विषय "कीपिंग पावर इन चेक: मीडिया, जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ" था।
(b) यूनेस्को द्वारा वर्ष 2000 से हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है।
(c) रिपोटर्स विद्आउट बॉर्डस (आरएसएफ) द्वारा 25 अप्रैल 2018 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2018 रिपोर्ट जारी की गयी।
(d) इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग पिछले वर्ष की तुलना में दो स्थान गिरकर 138वें स्थान पर पहुँच गई है।

उत्तर: (b)

व्याख्या: यूनेस्कों द्वारा वर्ष 1997 (न कि वर्ष 2000) से हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर गिलेरमो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है। इस तरह कथन (b) गलत है। उल्लेखनीय है कि विश्व भर में 03 मई 2018 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से सुनिश्चित होती है।

7. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नयी दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2020 तक इस क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
2. इस नीति में हर नागरिक को 100 एमबीपीएस की ब्रॉडबैण्ड सेवा उपलब्ध कराने तथा 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।
3. नई नीति में अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिये मिड बैंण्ड स्पेक्ट्रम, विशेष तौर पर 3GHZ से 24GHZ रेंज को पहचानने का प्रस्ताव निहित है।
4. भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उपभोक्ता बाजार है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 व 3 (b) केवल 2, 3 व 4
(c) केवल 3 व 4 (d) 1, 2, 3 व 3

उत्तर: (c)

व्याख्या: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 नाम से नयी दूरसंचार नीति का मसौदा जारी किया, जिसमें 2022 तक इस क्षेत्र में 40 लाख नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह कथन 1 गलत है। इस नीति में हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉडबैण्ड सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह कथन 2 भी गलत है। मसौदे में ऋण के बोझ से दबे दूर संचार क्षेत्र को उबारने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है। नयी नीति के मसौदे के तहत राष्ट्रीय ब्रॉडबैण्ड अभियान की स्थापना की बात की गई है। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर फार्म कहाँ पर स्थापित किया गया है?

- मोरक्को (एटलस पहाड़ी पर)

2. हाल ही में कॉन फिल्म समारोह में वीमेन इन मोशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?

- पैटी जेकिन्स

3. हाल ही में "काकावा उत्सव" कहाँ पर मनाया जा रहा है?

- तुर्की में

4. हाल ही में विश्व की पहली माइक्रोफैक्ट्री किस देश में शुरू की गई है?

- ऑस्ट्रेलिया

5. हाल ही में किस राज्य में "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" अभियान शुरू किया गया है?

- बिहार

6. हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को राजनीति हेतु आजीवन अयोग्य घोषित किया गया है?

- पाकिस्तान (नवाज शरीफ)

7. विश्व हिंदी सम्मेलन-2018 की मेजबानी किस देश को सौपी गई है?

- मॉरीशस

सात महत्वपूर्ण उक्तियाँ
(निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

1. अपने आपको जीवन में ढूँढना है तो लोगों की मदद में खो जाओ।

   - महात्मा गाँधी

2. यदि पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो, वो अमीर को और अमीर तथा गरीब को और गरीब बना देंगी।

   - जवाहरलाल नेहरू

3. एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनो ही प्रशिक्षण की जरुरत होती है।

   - सुभाष चन्द्र बोस

4. भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं अगर उसे अपने ह्रदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते।

   - स्वामी विवेकानंद

5. जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। पहला यह कि कुछ भी चमत्कार नहीं है और दूसरा यह कि दुनिया की हर चीज चमत्कार है।

   - अल्बर्ट आइंस्टीन

6. राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उनके प्रयास से, कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है।

   - अब्दुल कलाम

7. हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं।

   - लाल बहादुर शास्त्री

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. धूल-तूफान (डस्ट स्टॉर्म) कैसे बनते हैं? धूल तूफान (डस्ट स्टॉर्म) के निर्माण में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का परीक्षण करें।

2. आधार गोपनीयता से सम्बंधित कई चिंताओं को जन्म देता है, जिनका निराकरण करने की आवश्यकता है, ताकि इसके लाभों का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके। विश्लेषण करें।

3. निर्यात को बढ़ावा देने के लिये निर्यात सब्सिडी व निर्यात संवर्द्धन योजनाओं की उपयोगिता व भविष्य पर भारतीय संदर्भ में चर्चा कीजिये।

4. भारत के लिए डीएनए डेटाबेस के निर्माण में शामिल मुद्दों और लाभों की जांच करें।

5. क्या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 भारत में चिकित्सा शिक्षा और गुणवत्ता में सुधार लाने में सक्षम है? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये।

6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिचय देते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। वर्तमान संदर्भ में क्या यह योजना कितनी प्रासंगिक है इसकी विवेचना कीजिए।

7. भारत में भौमजल के गिरते स्तर और कमी के कारणों की जांच करें और इस स्थिति से निपटने के लिए समाधान भी सुझाएं।